उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पंजीकृत राजनीतिक दल

संविधान

(नीतिपत्र और कार्यसंहिता सहित)

पार्टी मुख्यालय
साह भवन, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली मार्ग, गैरसैंण, जनपद चमोली, उत्तराखंड

केन्द्रीय कैम्प कार्यालय
ग्रीन टॉप, निकट परिवर्तन चौक, माल रोड अल्मोड़ा, उत्तराखंड-263601

क्षेत्रीय कार्यालय
214-ए, चुक्खूवाला, देहरादून, उत्तराखंड

E-mail: contact@ukpp.org
Website: www.ukpp.org

:: विषयवस्तु ::

संविधान

1. पार्टी स्थापना 4
2. पार्टी का नाम 4
3. भारत के संविधान के प्रति निष्ठा 4
4. पार्टी ध्वज 4
5. पार्टी मुख्यालय 5
6. आंतरिक लोकतंत्र 5
7. सदस्यता 5
8. सक्रिय सदस्य की योग्यता 5
9. सदस्यता शुल्क और रजिस्टर 6
10. कर्तव्य और अधिकार 6
11. पदाधिकारी बनने के लिए चुनाव लड़ने की योग्यता 6
12. संरक्षक मंडल 7
13. महासभा 7
14. केन्द्रीय कार्यकारिणी 8
15. राजनीतिक समिति 8
16. पार्टी अध्यक्ष 9
17. केन्द्रीय उपाध्यक्ष 9
18. प्रधान महासचिव 9
19. केन्द्रीय महासचिव 10
20. केन्द्रीय प्रवक्ता 10
21. मंडलीय प्रवक्ता 11
22. चुनाव अधिकारी 11
23. केन्द्रीय कोषाध्यक्ष 11
24. केन्द्रीय सचिव 11
25. स्थापना दिवस 12
26. महाधिवेशन 12
27. जनपद इकाई 12
28. जनपद अध्यक्ष 12
29. जनपद उपाध्यक्ष 13
30. जनपद महासचिव 13
31. जनपद प्रवक्ता 13
32. जनपद सचिव 13
33. जनपद कोषाध्यक्ष 13
34. जनपद कार्यकारिणी 13
35. विधानसभा क्षेत्र प्रभारी 13
36. संसदीय क्षेत्र प्रभारी 14
37. ब्लॉक/नगर इकाई 14
38. ब्लॉक/नगर अध्यक्ष 14
39. ब्लॉक/नगर उपाध्यक्ष 14
40. ब्लॉक/नगर महासचिव 14
41. ब्लॉक/नगर सचिव 15
42. ब्लॉक/नगर कोषाध्यक्ष 15
43. ब्लॉक/नगर कार्यकारिणी 15
44. ग्राम प्रतिनिधि एवं इकाई 15
45. छात्र संगठन 16
46. युवा संगठन 16
47. जन संगठन 16
48. समर्थन समूह 16
49. राष्ट्रीय–अंतर्राष्ट्रीय प्रसंग 16
50. प्रांतीय समन्वय 17
51. समितियां 17
52. कार्यक्रम निगरानी समिति 17
53. केन्द्रीय अनुशासन समिति तथा अनुशासनात्मक कार्रवाई 17
54. प्रकाशन समिति 18
55. पार्टी संसदीय बोर्ड 18
56. योगदान/लेवी 18
57. मानदेय 18
58. वाह्य योगदान 19
59. कोष निर्माण, बैंक खाता और संचालन 19
60. पार्टी की बैठकें 19
61. वेबसाइट 19
62. कार्यालय सचिव 20
63. ऑडिट 20
64. निर्वाचन आयोग एवं पार्टी चुनाव चिन्ह 21
65. संविधान संशोधन 21
66. विलय, नाम परिवर्तन तथा विघटन 21

:: विषयवस्तु ::

अनुलग्नक–एक
नीतिपत्र

1. प्रस्तावना तथा मंतव्य 22
2. हस्तक्षेप 23
3. पहचान 26
4. पार्टी के लिए लोकतंत्र की व्यवस्था 26
5. सजग और प्रत्यक्ष लोकतंत्र 26
6. भारतीय संघ की अवधारणा 27
7. सामाजिक न्याय और समता 27
8. मानवाधिकार 27
9. अहिंसा, शांति, सुरक्षा और सद्भाव 28
10. विविधता का महत्व 28
11. टिकाऊ और सतत संरक्षण 29
12. प्रतिगामी प्रवृत्तियों का प्रतिकार और संघर्ष 29

अनुलग्नक–दो
कार्यसंहिता

1. राजधानी 30
2. परिसीमन 30
3. विकास खंडों का पुनर्गठन 30
4. जनपदों का पुनर्गठन 30
5. ग्रामसभा तथा राजस्व ग्राम 31
6. वन ग्राम 31
7. ग्राम सरकार 31
8. प्राकृतिक धरोहरें और परिसंपत्तियां 32
9. कृषि और वन संबंधी नीतियां 32
10. रोजगार 33
11. पशुपालन 33
12. पारिस्थितिकी अनुकूल भूमि सुधार, चकबंदी और खेतीबाड़ी 34
13. नजूल भूमि 35
14. महिलाओं को संपत्ति और भूमि के अधिकार 35
15. पर्यावरण–पारिस्थितिकी 35
16. उद्योग, औद्योगिक विकास बनाम श्रम कानून और पर्यावरण 36
17. बागवानी और फल आधारित उद्योग 36
18. खनन 37
19. बांध 37
20. विस्थापन और पुनर्वास 37
21. स्वास्थ्य–चिकित्सा 37
22. शिक्षा 38
23. सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक पक्ष 38
24. अकादमियां 38
25. अजा, जजा, अल्पसंख्यक, पिछड़े और अन्य निर्बल वर्ग 39
26. विकल्पधारी कर्मचारी 39
27. पर्यटन 39
28. अभयारण्य 39
29. परिवहन 40
30. भाषा और लिपि 40
31. आबकारी नीति 40
32. खाद्य सुरक्षा, पानी, मकान और रोजगार में आरक्षण 41
33. सहकारी संस्थाएं 41
34. राजनीतिक, सामाजिक और जनसंगठनों में पारदर्शिता 41
35. मीडिया परिषद 42
36. न्यायपालिका की जवाबदेही 42
37. लोकपाल तथा लोकायुक्त संस्थाएं 42
38. भ्रष्टाचार और लोक प्रशासन 42
39. शिकायत केन्द्र 42
40. मानवाधिकार आयोग 43
41. अन्य आयोग 43
42. सरकारी कर्मचारियों को राजनीतिक अधिकार 43
43. सैन्य प्रसंग और पूर्व सैनिक 43
44. राज्य भूमि आयोग 44
45. खेल नीति 44
46. अन्य 44

अनुलग्नक–तीन
अपील और संकल्प

45

संविधान

1. पार्टी स्थापना

उत्तराखंड से संबंधित राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक तथा पारिस्थितिक विषयों पर करीब दो वर्ष के गंभीर और सार्थक संवाद के बाद विभिन्न वर्गों और समुदायों के प्रतिनिधियों ने दिनांक 17–18 जनवरी 2009 को गैरसैंण में नयी पार्टी का स्थापना सम्मेलन आयोजित किया और 18 जनवरी को पार्टी को सर्वसम्मति से 'उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी' नाम देकर पार्टी के संविधान को अंगीकार किया। इसी तिथि से पार्टी का संचालन पार्टी संविधान, नीतिपत्र और कार्यसंहिता में प्रदत्त नियमों, सिद्धांतों और कार्यक्रमों के अनुसार किया जाएगा।

2. पार्टी का नाम

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 18 जनवरी 2009 से पार्टी का नाम 'उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी' होगा।

3. भारत के संविधान के प्रति निष्ठा

उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति तथा समाजवाद, पंथ–निरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगी तथा भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखेगी।

4. पार्टी ध्वज

पार्टी का अपना ध्वज होगा जो लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और समानता, पारिस्थितिक संतुलन, समृद्धि, शांति, अहिंसा, सार्थक कर्म, शांति तथा भाईचारे के मूल सिद्धांतों को रेखांकित करने वाला होगा। अर्थात् 1x2 के आकार के अनुपात के ध्वज में बायीं ओर एक–चौथाई आकार की खड़ी (वर्टिकल) लाल पट्टी होगी तथा शेष तीन–चौथाई हिस्से में तीन बराबर चौड़ाई की समानांतर (हॉराइजेंटल) पट्टियां होंगी। सबसे ऊपर नीली, बीच में सफेद और नीचे हरी पट्टी होगी। ये पट्टियां सामाजिक, राजनीतिक और व्यवस्था परिवर्तन के साथ–साथ पारिस्थितिक संतुलन और समरसता की प्रतीक होंगी। पार्टी कार्यक्रमों–कार्यालयों में पार्टी ध्वज को यथोचित सम्मान मिलना अपेक्षित है। इसकी अवहेलना अनुशासनहीनता मानी जाएगी। पार्टी ध्वज किसी भी पदाधिकारी से ऊपर होगा और पार्टी की मर्यादा और अस्तित्व का प्रतीक होगा। पार्टी ध्वज का आकार सदैव इस प्रकार रहेगा कि उसकी ऊंचाई से ठीक दोगुना चौड़ाई होगी। निर्वाचन आयोग से मान्यता और चुनाव चिन्ह मिलने के बाद चुनाव चिन्ह को पार्टी ध्वज के बीच में सफेद पट्टी में दिखाया जाएगा। सफेद पट्टी पर

पार्टी का नाम लिखा जाएगा।

5. पार्टी मुख्यालय

गैरसैंण में पार्टी का मुख्यालय स्थापित किया जाएगा। व्यावहारिक कारणों से पार्टी का केन्द्रीय कैम्प कार्यालय फिलहाल अल्मोड़ा और क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून में होंगे, पर यह अस्थायी व्यवस्था होगी। कार्यालय सचिव केन्द्रीय कार्यालय अथवा कैंप कार्यालयों के दैनिक कार्यों का संचालन पार्टी अध्यक्ष, प्रधान महासचिव और मुख्यालय प्रभारी महासचिव के नेतृत्व में करेगा। आवश्यकता पड़ने पर कुछ स्टॉफ वेतन पर भी नियुक्त किया जा सकता है। गैरसैंण में पार्टी मुख्यालय संचालित होने तक केन्द्रीय कैंप कार्यालय से मुख्यालय का कामकाज संचालित किया जाएगा।

6. आंतरिक लोकतंत्र

पार्टी संगठन में निर्णय–क्रियान्वयन–श्रेय में भागीदारी के सिद्धांत के अनुसार आवश्यक रूप से आंतरिक लोकतंत्र होगा तथा पार्टी सामूहिक नेतृत्व की भावना को अक्षुण्ण रखते हुए स्वयं का संचालन करेगी।

7. सदस्यता

अठारह वर्ष या इससे अधिक आयु का कोई भी भारतीय नागरिक पार्टी का प्राथमिक सदस्य बन सकता है। सदस्यता के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति पार्टी के संविधान के अतिरिक्त इसकी नीतियों, विचारों और कार्यक्रमों में भी आस्था रखता हो। सदस्यता प्राथमिक और सक्रिय दोनों तरह की होगी। प्राथमिक सदस्यता का प्रत्येक दो वर्ष बाद नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा। सदस्य बनने के बाद यदि किसी ने पार्टी के विपरीत किसी भी प्रकार का आचरण किया या वक्तव्य दिया तो उसके खिलाफ पार्टी के संविधान के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की व्यवस्था है।

पार्टी में किसी भी तरह की जिम्मेदारी किसी भी सदस्य को देते समय धर्म, सम्प्रदाय, जाति, नस्ल, लिंग, भाषा, बोली, जीवन पद्धति, समूह, इत्यादि की दृष्टि से भेदभाव नहीं किया जाएगा। हर संभव कोशिश की जाएगी कि विभिन्न वर्गों में पार्टी का व्यापक आधार बने और ऐसा पार्टी में सभी वर्गों की उचित भागीदारी से सुनिश्चित किया जाएगा।

8. सक्रिय सदस्य की योग्यता

पार्टी का सक्रिय सदस्य बनने अथवा बने रहने के लिए किसी भी व्यक्ति को हर दो साल में कम से कम दस नये प्राथमिक सदस्य बनाने होंगे तथा पुराने सदस्यों के द्विवार्षिक सदस्यता शुल्क के नवीनीकरण की यथासंभव जिम्मेदारी लेनी होगी। सक्रिय सदस्यों को ब्लॉक अथवा नगर स्तर पर पार्टी कार्यक्रमों में प्राथमिक सदस्यों की अधिकतम उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी। यदि कोई प्राथमिक सदस्य ब्लॉक या नगर स्तर की बैठक में आने में निरंतर तीन बैठकों

में सक्षम न हो तो ब्लॉक/नगर महासचिव ऐसे सदस्य के निवास पर जाकर उसकी सदस्यता की सत्यता जांच करेगा तथा आवश्यक कार्रवाई की संस्तुति संबंधित इकाई को करेगा। केवल सक्रिय सदस्य ही किसी भी स्तर पर पदाधिकारी बनने के योग्य होंगे।

9. सदस्यता शुल्क और रजिस्टर

ब्लॉक और नगर स्तर पर प्राथमिक और सक्रिय सदस्यों के रजिस्टर रखे जाएंगे जिनमें सदस्यों की फोटो पहचान और पतों का ब्यौरा होगा। ब्लॉक/नगर इकाई उचित माध्यम से प्राथमिक और सक्रिय सदस्यों की सूची केन्द्रीय कार्यालय को भेजेगी। जनपद/नगर कार्यालय में तमाम ब्लॉक इकाइयों की सदस्यता सूचियां होंगी। केन्द्रीय कार्यालय में आवश्यक रूप से तमाम ब्लॉकों, नगरों और जनपदों में पार्टी के प्राथमिक और सक्रिय सदस्यों की सूचियां फोटो पहचान के साथ रखी जाएंगी, जिनका संशोधन हर छमाही में किया जाएगा और नये प्राथमिक/सक्रिय सदस्यों का विवरण इनमें जोड़ा जाएगा। प्राथमिक सदस्यता द्विवार्षिक होगी और इसका शुल्क बीस रुपये होगा। सक्रिय सदस्यों को सौ रुपये द्विवार्षिक चंदा प्राथमिक सदस्यता शुल्क के अतिरिक्त देना होगा। ब्लॉक और जनपद स्तर पर एकत्रित सदस्यता शुल्क का 20 प्रतिशत हिस्सा केन्द्रीय कोष में अनिवार्य रूप से जमा किया जाएगा। ब्लॉक/नगर इकाई 50 प्रतिशत चंदा अपने पास रखेगी तथा शेष 30 प्रतिशत चंदा जनपद इकाई को देगी। ब्लॉक/नगर तथा जनपद इकाइयां आवश्यकतानुसार केन्द्रीय संगठन से अपने कार्यक्रमों के लिए योगदान की मांग कर सकेंगी। ग्राम इकाइयां अपने सदस्यों का सदस्यता शुल्क ब्लॉक इकाई में जमा करेंगी। ग्राम इकाइयों के सदस्यों के चंदे की दरें ब्लॉक/नगर इकाई से जुड़े सदस्यों की तरह होंगी। उन्हें अलग से ब्लॉक/नगर इकाई में सदस्यता शुल्क नहीं देना होगा। जनपद/नगर इकाइयां स्थानीय स्तर पर अपना बैंक खाता खोलेंगी और उनका संचालन केन्द्रीय स्तर पर खोले गये बैंक खाते/खातों के अनुरूप ही करेंगी यथा अध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष में से दो पदाधिकारियों के हस्ताक्षर किसी भी लेनदेन के लिए अनिवार्य होंगे।

10. कर्त्तव्य और अधिकार

पार्टी संगठन में हर सदस्य के पदानुसार कर्त्तव्य और अधिकार सुनिश्चित होंगे। सदस्यों को पार्टी के संविधान तथा नेतृत्व में आस्था रखते हुये अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करना होगा और पार्टी द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग व्यक्तिगत नहीं बल्कि पार्टी और जनहित में करना होगा। अधिकारों की व्याख्या आगे की गयी है।

11. पदाधिकारी बनने के लिए चुनाव लड़ने की योग्यता

पार्टी संगठन को पार्टी के सिद्धांतों तथा आदर्शों के अनुकूल संचालित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर पदाधिकारी निर्वाचित/चयनित/नामित किये जाएंगे। यह आवश्यक होगा कि पार्टी में किसी भी स्तर पर पद की इच्छा रखने वाला सदस्य कम से कम एक वर्ष पुराना सक्रिय सदस्य

हो और पद की दावेदारी की अनुशंसा ब्लॉक/नगर इकाई ने जनपद या केन्द्रीय इकाई को की हो। विशेष परिस्थितियों में राजनीतिक समिति इस संबंध में अंतिम निर्णय लेगी। सामाजिक–आर्थिक– राजनीतिक और सांस्कृतिक स्तरों पर बराबरी के सिद्धांत को मानते हुये नेतृत्व में दलितों, अल्पसंख्यकों, अन्य वंचित वर्गों महिलाओं और युवावर्ग को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा तथा इनकी अलग से इकाइयां भी गठित की जाएंगी। पार्टी संगठन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अंततः कम से कम 50 प्रतिशत करने का लक्ष्य हासिल करने के लिए भरसक प्रयास किये जाएंगे।

12. संरक्षकमंडल

केन्द्रीय स्तर पर पार्टी के संरक्षकमंडल में समाज के लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तियों या ऐसे लोगों को राजनीतिक समिति द्वारा चुना जाएगा जिनका उत्तराखंड आंदोलन अथवा उत्तराखंड के सरोकारों से जुड़े किसी अन्य क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हो। संरक्षकमंडल के सदस्यों का कार्यकाल अनिश्चितकालीन होगा। संरक्षकों की भूमिका परामर्श देने और पार्टी का दिशा–निर्देशन करने की होगी, किन्तु उनके सुझाव बाध्यकारी नहीं होंगे। संरक्षकों को पार्टी में किसी भी स्तर पर मतदान का अधिकार नहीं होगा। संरक्षकमंडल के सदस्य राजनीतिक समिति की बैठकों के साथ–साथ पार्टी की किसी भी बैठक में प्रेक्षक के रूप में शामिल होने के लिए स्वतंत्र होंगे।

13. महासभा

महासभा पार्टी की शीर्षतम संस्था होगी। इसमें पार्टी के सभी सक्रिय सदस्य होंगे और इसकी निरंतरता सदैव बनी रहेगी। अर्थात् पार्टी की महासभा के लिए चुनाव नहीं कराने पड़ेंगे। महासभा अपने सदस्यों में से ही केन्द्रीय पदाधिकारियों और केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यों को दो वर्ष के लिए निर्वाचित/चयनित/नामित करेगी अथवा पार्टी अध्यक्ष को यह अधिकार देगी। इसके पश्चात कार्यकारिणी सदस्यों में से ही राजनीतिक समिति और अन्य समितियों का गठन/निर्वाचन दो वर्ष के लिए किया जाएगा। पार्टी की सर्वोच्च संस्था होने के नाते महासभा को राजनीतिक समिति और केन्द्रीय कार्यकारिणी सहित पार्टी के किसी भी स्तर पर लिए गये निर्णयों को नकारने, बदलने, संशोधित अथवा परिवर्द्धित करने का अधिकार द्विवार्षिक महाधिवेशन में उपस्थित सदस्यों के दो–तिहाई बहुमत से प्राप्त होगा। दल के संविधान में परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन का अंतिम अधिकार भी महासभा को होगा। केन्द्रीय पदाधिकारियों, राजनीतिक समिति और केन्द्रीय कार्यकारिणी द्वारा पूर्व में लिए गये निर्णयों पर महासभा का अनुमोदन आवश्यक होगा। इसके लिए द्विवार्षिक महाधिवेशन में प्रस्ताव लाया जाएगा। किसी प्रकार की आपत्ति होने पर दो–तिहाई बहुमत से अंतिम निर्णय लिए जाएंगे। संक्षेप में, महासभा को पार्टी संविधान के भीतर हरसंभव अधिकार प्राप्त है।

14. केन्द्रीय कार्यकारिणी

केन्द्रीय कार्यकारिणी का निर्वाचन/चयन पार्टी के द्विवार्षिक महाधिवेशन में महासभा द्वारा अपने ही बीच से दो वर्ष के लिए किया जाएगा। पार्टी की केन्द्रीय कार्यकारिणी में सदस्यों की अधिकतम संख्या 101 होगी। पार्टी अध्यक्ष, सात केन्द्रीय उपाध्यक्ष, प्रधान महासचिव, सात केन्द्रीय महासचिव, राजनीतिक समिति के सभी सदस्य, केन्द्रीय कोषाध्यक्ष, सभी केन्द्रीय सचिव तथा सभी जनपद अध्यक्ष केन्द्रीय कार्यकारिणी के पदेन सदस्य होंगे तथा 101 की संख्या इन पदाधिकारियों सहित होगी। केन्द्रीय कार्यकारिणी में रिक्त स्थानों पर निर्वाचन/चयन जनपद इकाइयों की सहमति से पार्टी अध्यक्ष और प्रधान महासचिव द्विवार्षिक चुनावों के दौरान अथवा समयानुकूल करेंगे। केन्द्रीय कार्यकारिणी की बैठक प्रत्येक वर्ष कम से कम दो बार आहूत की जाएगी। कार्यकारिणी की बैठक हर बार अलग जगह आयोजित करने का प्रयास किया जाएगा और आयोजन की जिम्मेदारी संबंधित जनपद इकाई और राजनीतिक समिति की सामूहिक रूप से होगी। जनपद इकाइयां केन्द्रीय कार्यकारिणी की आगामी बैठक अपने यहां कराने का प्रस्ताव रख सकती हैं लेकिन बैठक कहां होगी, इस बारे में अंतिम फैसला भी राजनीतिक समिति का होगा। केन्द्रीय कार्यकारिणी अंततः महासभा के प्रति जिम्मेदार होगी। केन्द्रीय कार्यकारिणी को राजनीतिक समिति के निर्णयों को बदलने, नकारने अथवा संशोधित करने का अधिकार दो–तिहाई बहुमत से होगा।

15. राजनीतिक समिति

राजनीतिक समिति का गठन दो वर्ष के लिए केन्द्रीय कार्यकारिणी के भीतर से ही किया जाएगा। यह पार्टी संगठन की शीर्ष नीतिनिर्धारक और निर्णायक संस्था होगी। इसका प्रमुख पार्टी अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा नामित राजनीतिक समिति का कोई एक सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा। इसमें पार्टी अध्यक्ष, एक केन्द्रीय उपाध्यक्ष, प्रधान महासचिव और कोषाध्यक्ष पदेन सदस्य होंगे। इनके अलावा सात ऐसे सदस्य होंगे जो केन्द्रीय पदाधिकारी या केन्द्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी हों। अर्थात् राजनीतिक समिति के सदस्यों की अधिकतम संख्या ग्यारह होगी। राजनीतिक समिति में पदेन सदस्यों के अलावा सात सदस्यों का निर्वाचन या चयन केन्द्रीय कार्यकारिणी द्विवार्षिक अधिवेशन में अथवा समयानुकूल करेगी। राजनीतिक समिति की बैठकों में किसी भी निर्णय के लिए दो–तिहाई बहुमत आवश्यक होगा और यदि सर्वसम्मति से यह समिति आवश्यक समझे तो पार्टी अध्यक्ष को एक अतिरिक्त वोट का अधिकार होगा ताकि दो–तिहाई बहुमत के साथ निर्णय लिया जा सके। राजनीतिक समिति की बैठक अनिवार्य रूप से प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बार होगी और कोरम के लिए बैठक में कम से कम आठ सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। कोरम पूरा नहीं होने पर उपस्थित सदस्यों को बैठक स्थगित कर अगली बैठक उसी समय या भविष्य में करने का अधिकार होगा पर ऐसा निर्णय लेने वाली हर बैठक में न्यूनतम चार सदस्यों

की उपस्थिति अनिवार्य होगी। राजनीतिक समिति की समस्त बैठकों की कार्यवाही अनिवार्य रूप से लिपिबद्ध की जायेगी। यह समिति दो–तिहाई बहुमत से अध्यक्ष का निर्णय भी बदल सकती है। आवश्यकता पड़ने पर राजनीतिक समिति की बैठक पार्टी अध्यक्ष कभी भी बुला सकते हैं।

16. पार्टी अध्यक्ष

केन्द्रीय स्तर पर पार्टी का एक अध्यक्ष होगा जिसका निर्वाचन प्रत्येक दो वर्ष में महासभा द्वारा द्विवार्षिक महाधिवेशन में सर्वसम्मति से अथवा चुनाव द्वारा किया जाएगा। पार्टी अध्यक्ष को किसी भी पदाधिकारी अथवा पार्टी सदस्य को किसी भी प्रकार की विधिसम्मत जिम्मेदारी देने का अधिकार होगा। अध्यक्ष पद के लिए किसी नाम पर सर्वसम्मति नहीं बनने पर गोपनीय मतदान चुनाव अधिकारी द्वारा कराया जाएगा। चुनाव अधिकारी सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी को पार्टी का अध्यक्ष घोषित करेगा। पार्टी अध्यक्ष पद की दावेदारी के लिए अनिवार्य होगा कि प्रत्याशी कम से कम दो वर्ष तक केन्द्रीय पदाधिकारी अथवा राजनीतिक समिति का सदस्य रहा हो और किसी भी प्रकार के भ्रष्ट आचरण अथवा पार्टी विरोधी गतिविधि में उसकी संलिप्तता न रही हो। पार्टी अध्यक्ष विशेष परिस्थितियों में विशेष अधिकारों का उपयोग करने में सक्षम होगा। लेकिन, अध्यक्ष को राजनीतिक समिति और अंततः केन्द्रीय कार्यकारिणी तथा महासभा की अगली बैठकों में अपने कार्य अथवा निर्णय का औचित्य साबित करना होगा। इनकी सहमति नहीं होने पर पार्टी अध्यक्ष को अपने निर्णय में अनुकूल परिवर्तन करना होगा। अध्यक्ष अपनी अनुपस्थिति में समस्त जिम्मेदारियों के वहन के लिए किसी एक उपाध्यक्ष को नामित कर सकेगा। किसी विशेष परिस्थिति में राजनीतिक समिति सर्वसम्मति बनाकर किसी एक उपाध्यक्ष को यह दायित्व दे सकती है। पार्टी अध्यक्ष को केन्द्रीय अध्यक्ष भी कहा जा सकेगा।

17. केन्द्रीय उपाध्यक्ष

पार्टी के केन्द्रीय उपाध्यक्षों की अधिकतम संख्या सात होगी और वे केन्द्रीय अध्यक्ष के निर्देशों और सुझावों के अनुसार कार्य करेंगे। इन पदों पर नियुक्ति केन्द्रीय अध्यक्ष द्वारा की जाएगी जिस पर राजनीतिक समिति की न्यूनतम दो–तिहाई सहमति आवश्यक होगी। इन पदों पर नियुक्ति केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यों में से ही की जाएगी।

18. प्रधान महासचिव (सेक्रेटरी जनरल)

पार्टी के प्रधान महासचिव (सेक्रेटरी–जनरल) की संख्या एक होगी और इस पद पर निर्वाचन द्विवार्षिक बैठक में महासभा द्वारा सर्वसम्मति से अथवा चुनाव से किया जाएगा। इसमें वही प्रक्रिया अपनायी जाएगी जो पार्टी या केन्द्रीय अध्यक्ष के चुनाव में अपनायी जानी अपेक्षित है। प्रधान महासचिव पार्टी संचालन के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार होगा और पार्टी के केन्द्रीय अध्यक्ष के साथ बराबर सपंर्क और समन्वय बनाकर कार्य करेगा।

प्रधान महासचिव के हर कार्य को अध्यक्ष की सहमति आवश्यक है। विवाद होने की स्थिति में राजनीतिक समिति अंतिम निर्णय लेगी और किसी भी निर्णय के लिए दो–तिहाई बहुमत आवश्यक होगा। अध्यक्ष की किसी भी प्रकार की अनुपस्थिति में प्रधान महासचिव पार्टी अध्यक्ष अथवा राजनीतिक समिति द्वारा नामित उपाध्यक्ष के प्रति जवाबदेह होगा। सभी केन्द्रीय महासचिवों का कार्यविभाजन करने की जिम्मेदारी प्रधान महासचिव की होगी और केन्द्रीय महासचिवों के क्रियाकलाप से वह पार्टी अध्यक्ष एवं राजनीतिक समिति को समय–समय पर अवगत कराएगा। किसी केन्द्रीय महासचिव का कार्य संतोषजनक न होने अथवा उसके किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल होने पर जिसकी वजह से पार्टी संगठन की छवि खराब होती हो– की स्थिति में प्रधान महासचिव अध्यक्ष की सहमति और राजनीतिक समिति का दो–तिहाई बहुमत प्राप्त करने के बाद ऐसे केन्द्रीय महासचिव को पद से कार्यमुक्त कर सकता है। प्रधान महासचिव सभी केन्द्रीय महासचिवों के कार्यों का अध्ययन और आकलन करेगा और समय–समय पर आयोजित केन्द्रीय कार्यकारिणी और राजनीतिक समिति की बैठकों तथा वार्षिक या द्विवार्षिक महाधिवेशन में पार्टी की गतिविधियों के बारे में अपनी विस्तृत लिखित रिपोर्ट पेश करेगा। रिपोर्ट में ब्लॉक/नगर स्तर तक की इकाइयों की गतिविधियों का उल्लेख आवश्यक रूप से होगा।

19. केन्द्रीय महासचिव (जनरल सेक्रेटरी)

पार्टी के केन्द्रीय महासचिवों की अधिकतम संख्या सात होगी। इनकी नियुक्ति प्रधान महासचिव की संस्तुति पर अध्यक्ष केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यों में से करेगा तथा इसमें राजनीतिक समिति की दो–तिहाई सहमति अनिवार्य होगी। चयनित केन्द्रीय महासचिव प्रधान महासचिव के निर्देशों का पालन करेंगे और प्रधान महासचिव द्वारा दिये गये कार्यों का संपादन करने के लिए जिम्मेदार होंगे। केन्द्रीय महासचिवों के पास जनपदों अथवा किसी भी अन्य प्रकार का प्रभार भी होगा और वे जनपद अध्यक्षों के साथ बराबर समन्वय–संपर्क बनाए रखेंगे।

20. केन्द्रीय प्रवक्ता

राजनीतिक समिति के किसी एक सदस्य को पार्टी का अधिकृत केन्द्रीय प्रवक्ता राजनीतिक समिति के न्यूनतम दो–तिहाई बहुमत से चुना जाएगा। राजनीतिक समिति के निर्णयों और पार्टी के फैसलों के बारे में मीडिया और जनता को जानकारी देने की जिम्मेदारी केन्द्रीय प्रवक्ता की होगी। राजनीतिक समिति यह ध्यान में रखेगी कि पार्टी के अधिकृत केन्द्रीय प्रवक्ता पद पर चुने जाने वाले राजनीतिक समिति के सदस्य को पार्टी संविधान, पार्टी नियमों–उपनियमों, विचारधारा, समसामयिक राजनीति, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्यों की सही और उचित जानकारी हो। सार्वजनिक टिप्पणी करने और पार्टी या राजनीतिक समिति के किसी भी निर्णय को सार्वजनिक करने से पहले प्रवक्ता को पार्टी अध्यक्ष/प्रधान महासचिव अथवा दोनों से सलाह मशविरा करना होगा। राजनीतिक समिति केन्द्रीय प्रवक्ता से दो–तिहाई बहुमत के साथ यह

पद त्यागने को कह सकती है। यह पद त्यागने की स्थिति में उसकी राजनीतिक समिति की सदस्यता बनी रहेगी।

21. मंडलीय प्रवक्ता

राजनीतिक समिति उत्तराखंड के सभी मंडलों में मंडलीय प्रवक्ता नियुक्त करेगी। इन प्रवक्ताओं के चयन में केन्द्रीय प्रवक्ता जैसी प्रणाली अपनायी जाएगी और जो अपेक्षाएं केन्द्रीय प्रवक्ता से हैं, उसी प्रकार की अपेक्षाएं मंडलीय प्रवक्ताओं से होंगी। राजनीतिक समिति दो–तिहाई बहुमत से मंडलीय प्रवक्ता को पदमुक्त कर सकेगी। इस पद पर नियुक्ति के लिए कम से कम केन्द्रीय कार्यकारिणी का सदस्य होना अनिवार्य है।

22. चुनाव अधिकारी

चुनाव अधिकारी की नियुक्ति किसी भी चुनाव के समय अनिवार्य रूप से की जाएगी। महासभा/केन्द्रीय कार्यकारिणी/जनपद कार्यकारिणी/ब्लॉक कार्यकारिणी/नगर कार्यकारिणी इस पद के लिए किसी भी व्यक्ति का चयन कर सकती है। यह पद अस्थाई होगा। चुनाव अधिकारी द्वारा चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद यह पद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा।

23. केन्द्रीय कोषाध्यक्ष

पार्टी का एक केन्द्रीय कोषाध्यक्ष होगा। इस पद पर नियुक्ति के लिए नाम का प्रस्ताव केन्द्रीय अध्यक्ष और प्रधान महासचिव आपसी सहमति बनाकर महासभा के सम्मुख स्वीकृति के लिए रखेंगे। यदि महासभा तुरंत किसी निर्णय पर न पहुंच सके तो वह इस पद पर समयानुकूल किंतु द्विवार्षिक महाधिवेशन के तीन माह के भीतर नियुक्ति का सामूहिक अधिकार अध्यक्ष और प्रधान महासचिव को दे सकती है। इस पद पर ऐसे व्यक्ति का चयन किया जाएगा जो सार्वजनिक जीवन और निजी जीवन में शुचिता, वित्तीय ईमानदारी बरतता हो। कोषाध्यक्ष को हर चार महीने में पार्टी की आय–व्यय का विवरण राजनीतिक समिति की बैठक में रखना होगा तथा वह अनिवार्य रूप से राजनीतिक समिति का पदेन सदस्य होगा। पार्टी अध्यक्ष और प्रधान महासचिव के दिशानिर्देश में कोषाध्यक्ष को अधिकतम 25 हजार रुपये प्रतिमाह पार्टी कार्यों पर खर्च करने का अधिकार होगा। अधिकतम राशि की सीमा पार होने के बाद किसी भी वित्तीय निर्णय में राजनीतिक समिति की दो–तिहाई सहमति आवश्यक होगी। कोषाध्यक्ष पार्टी की संपूर्ण आय–व्यय और खातों की देखरेख के लिए अंतिम रूप से जिम्मेदार होगा तथा महासभा और केन्द्रीय कार्यकारिणी की बैठकों में भी उसे आय–व्यय का लिखित हिसाब रखना होगा। पार्टी द्वारा नियुक्त आंतरिक और वाह्य लेखाकारों के प्रति केन्द्रीय कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी अनिवार्य रूप से होगी।

24. केन्द्रीय सचिव

पार्टी संगठन में केन्द्रीय सचिवों की अधिकतम संख्या चौदह होगी। इनकी नियुक्ति प्रधान

महासचिव के साथ परामर्श कर पार्टी अध्यक्ष करेगा। इनके कार्य का विभाजन प्रधान महासचिव करेगा। सचिव की प्राथमिक जबावदेही किसी एक महासचिव के प्रति होगी और उसी महासचिव के निर्देशन में प्रत्येक सचिव कार्य करेगा।

25. स्थापना दिवस

प्रत्येक वर्ष 18 जनवरी को पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर पार्टी मुख्यालय, केन्द्रीय कैंप कार्यालय, मंडलीय/क्षेत्रीय/जनपदीय/नगर/ब्लॉक कार्यालयों पर कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे। इस उपलक्ष्य में पार्टी विभिन्न स्तरों पर नये कार्यक्रम भी आरंभ कर सकती है। विभिन्न स्तर पर इकाइयां स्वतंत्र कार्यक्रम भी दे सकती हैं, किंतु इनमें पार्टी अध्यक्ष और प्रधान महासचिव की अनुमति अनिवार्य होगी।

26. महाधिवेशन

प्रत्येक दो वर्ष में पार्टी का दो–दिवसीय महाधिवेशन आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन अनिवार्य रूप से स्थापना दिवस से चार माह के भीतर करना होगा। महाधिवेशन स्थल का चयन राजनीतिक समिति करेगी। इसके अतिरिक्त पार्टी के वार्षिक अधिवेशन का आयोजन भी किया जाएगा। यह आयोजन भी पार्टी स्थापना दिवस से चार माह के भीतर करना होगा।

27. जनपद इकाई

प्रत्येक जनपद में पार्टी की इकाई होगी जिसे जनपद इकाई के नाम से जाना जाएगा। जनपद इकाई का ढांचा मोटे तौर पर पार्टी के केन्द्रीय संगठन की तरह ही होगा। जनपद इकाई में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष, एक महासचिव, पांच सचिव, एक कोषाध्यक्ष, एक प्रवक्ता और अधिकतम 31 कार्यकारिणी सदस्य होंगे। जनपद इकाई अपने स्तर पर कार्यक्रम ले सकेगी पर केन्द्रीय नेतृत्व का अनुमोदन अनिवार्य होगा। जनपद इकाई की जिम्मेदारी ब्लॉक/नगर इकाइयों के कामकाज पर निगरानी रखने की भी होगी।

28. जनपद अध्यक्ष

जनपद इकाई के सम्मेलन में जनपद अध्यक्ष का चुनाव सर्वसम्मति से अथवा एक से अधिक उम्मीदवार होने की स्थिति में मतदान से किया जाएगा। प्रभारी केन्द्रीय महासचिव और केन्द्रीय प्रेक्षक की उपस्थिति में यह कार्य संपन्न होगा। जनपद अध्यक्ष प्रभारी केन्द्रीय महासचिव के साथ समन्वय बनाकर जनपद स्तर की गतिविधियों का आयोजन करेगा और प्रभारी केन्द्रीय महासचिव को पर्याप्त सूचना प्रेषित करेगा ताकि प्रभारी महासचिव प्रधान महासचिव को जनपद की गतिविधियों से अवगत रख सके। जनपद अध्यक्ष जनपद कार्यकारिणी की बैठक में अपनी रिपोर्ट में अपनी इकाई की गतिविधियों के अतिरिक्त जनपद उपाध्यक्षों, जनपद महासचिव, जनपद कोषाध्यक्ष, जनपद प्रवक्ता और जनपद सचिवों के कार्यों की जानकारी देगा।

29. जनपद उपाध्यक्ष

प्रत्येक जनपद में दो उपाध्यक्ष होंगे। इनका चुनाव जनपद अध्यक्ष की तरह ही होगा। जनपद उपाध्यक्षों की प्राथमिक जवाबदेही जनपद अध्यक्ष के प्रति होगी तथा उसके निर्देशन में कार्य करेंगे।

30. जनपद महासचिव

प्रत्येक जनपद में एक महासचिव होगा। इसका चुनाव अध्यक्ष के चुनाव की तरह होगा। महासचिव प्राथमिक रूप से जनपद अध्यक्ष के प्रति जवाबदेह होगा तथा उसके निर्देशन में कार्य करेगा।

31. जनपद प्रवक्ता

जनपद प्रवक्ता का निर्वाचन/चयन जनपद इकाई करेगी तथा जनपद प्रवक्ता से वही अपेक्षाएं होंगी जो मंडलीय प्रवक्ता से की जाती हैं। जनपद प्रवक्ता को जनपद कार्यकारिणी दो–तिहाई बहुमत से पदमुक्त कर सकेगी।

32. जनपद सचिव

राज्य के प्रत्येक जनपद में पांच सचिव होंगे। इनका चयन जनपद महासचिव की सहमति से जनपद अध्यक्ष करेगा। इनकी छमाही रिपोर्ट जनपद महासचिव अपने जनपद अध्यक्ष को देगा।

33. जनपद कोषाध्यक्ष

प्रत्येक जनपद में एक कोषाध्यक्ष होगा। कोषाध्यक्ष का चुनाव जनपद अध्यक्ष की तरह होगा। जनपद कोषाध्यक्ष का जनपद स्तर पर वही कार्य होगा जो केन्द्रीय स्तर पर केन्द्रीय कोषाध्यक्ष का है। जनपद स्तर के बैंक खाते का संचालन जनपद कोषाध्यक्ष नियमानुसार करेगा। बैंक के प्रत्येक लेनदेन में जनपद अध्यक्ष, जनपद महासचिव और जनपद कोषाध्यक्ष में दो के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे।

34. जनपद कार्यकारिणी

जनपद कार्यकारिणी में जनपद अध्यक्ष, जनपद उपाध्यक्षों, जनपद महासचिव, जनपद कोषाध्यक्ष, जनपद प्रवक्ता तथा जनपद सचिवों सहित जनपद के सभी ब्लॉक अध्यक्ष शामिल होंगे। जनपद कार्यकारिणी में शेष सदस्यों का चयन जनपद अध्यक्ष और जनपद महासचिव करेंगे लेकिन जनपद कार्यकारिणी की अधिकतम संख्या 31 होगी।

35. विधानसभा क्षेत्र प्रभारी

पार्टी अध्यक्ष प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक प्रभारी की नियुक्ति करेगा। विधानसभा क्षेत्र प्रभारी की जिम्मेदारी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत तमाम पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से

समन्वय बनाकर कार्यक्रमों को अंजाम देना होगा। विधानसभा क्षेत्र प्रभारी के लिए आवश्यक है कि वह न्यूनतम जनपद स्तर का पदाधिकारी हो तथा स्थानीय विषयों की समझ रखता हो।

36. संसदीय क्षेत्र प्रभारी

पार्टी अध्यक्ष प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के लिए एक प्रभारी की नियुक्ति करेगा। लोकसभा क्षेत्र प्रभारी की जिम्मेदारी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत तमाम पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से समन्वय बनाकर कार्यक्रमों को अंजाम देना होगा। लोकसभा क्षेत्र प्रभारी के लिए केन्द्रीय स्तर पर पदाधिकारी/केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य होना आवश्यक है। ऐसे प्रत्याशी के लिए आवश्यक है कि उसे स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय–अंतर्राष्ट्रीय विषयों की जानकारी हो।

37. ब्लॉक/नगर इकाई

प्रत्येक ब्लॉक/नगर में पार्टी की इकाई गठित की जाएगी। ब्लॉक या नगर विशेष के निवासियों को इस इकाई में सदस्यता दी जाएगी। ब्लॉक/नगर इकाई पार्टी की प्राथमिक इकाई होगी। इसका दायित्व होगा कि केवल ऐसे व्यक्तियों को पार्टी की सदस्यता दें जो पार्टी संविधान, पार्टी की विचारधारा, नीतियों, कार्यक्रमों, दिशा–निर्देशों, अनुशासन, नीतिपत्र, कार्यसंहिता और घोषणापत्र में आस्था रखते हों। ब्लॉक/नगर स्तर पर पार्टी की विचारधारा तथा नीतियों से लोगों को परिचित कराने के लिए आवश्यक कार्यशालाओं का आयोजन करना ब्लॉक/नगर इकाई की जिम्मेदारी होगी।

38. ब्लॉक/नगर अध्यक्ष

प्रत्येक ब्लॉक/नगर में एक अध्यक्ष होगा। ब्लॉक/नगर अध्यक्ष का चुनाव ब्लॉक/नगर के सक्रिय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति या चुनाव से होगा। ब्लॉक/नगर अध्यक्ष का प्राथमिक कार्य पार्टी के लिए सघन सदस्यता कार्यक्रम को क्रियान्वित कराना होगा। साथ ही ब्लॉक/नगर के अधिकतम नागरिकों के साथ संपर्क और समन्वय स्थापित करने की जिम्मेदारी बांटने की भी होगी। जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने की जिम्मेदारी भी ब्लॉक/नगर अध्यक्ष की होगी। ब्लॉक/नगर अध्यक्ष को अपने ब्लॉक/नगर के तमाम कार्यक्रमों और अभियानों इत्यादि की तिमाही रिपोर्ट जनपद अध्यक्ष को देनी होगी।

39. ब्लॉक/नगर उपाध्यक्ष

ब्लॉक/नगर उपाध्यक्षों की अधिकतम संख्या दो होगी। इनका चुनाव ब्लॉक/नगर अध्यक्ष की तरह होगा। अध्यक्ष के निर्देशन में ये अपना कार्य निर्वहन करेंगे।

40. ब्लॉक/नगर महासचिव

प्रत्येक ब्लॉक/नगर में एक महासचिव होगा। ब्लॉक/नगर महासचिव का चुनाव ब्लॉक/नगर के सक्रिय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति या चुनाव से होगा। ब्लॉक/नगर महासचिव का कार्य

ब्लॉक/नगर अध्यक्ष के निर्देशों का पालन तथा ब्लॉक/नगर अध्यक्ष की सहमति से ब्लॉक/नगर के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यक्रमों और अभियानों इत्यादि का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। ब्लॉक/नगर कार्यकारिणी सदस्यों के साथ मिलकर जनसंपर्क और सदस्यता अभियान चलाने की मूल जिम्मेदारी ब्लॉक/नगर महासचिव की होगी।

41. ब्लॉक/नगर सचिव

ब्लॉक/नगर सचिवों की संख्या अधिकतम तीन होगी। इनका चुनाव ब्लॉक/नगर अध्यक्ष और ब्लॉक/नगर महासचिव आपसी सहमति बनाकर करेंगे। ब्लॉक/नगर महासचिव के निर्देशन में इन्हें पार्टी के कार्य करने होंगे।

42. ब्लॉक/नगर कोषाध्यक्ष

प्रत्येक ब्लॉक/नगर में एक कोषाध्यक्ष होगा। इसका चयन ब्लॉक/नगर अध्यक्ष और ब्लॉक/नगर महासचिव आपसी सहमति बनाकर करेंगे। ब्लॉक/नगर कोषाध्यक्ष का वही कार्य होगा जो जनपद स्तरीय कोषाध्यक्ष के लिए तय है। ब्लॉक स्तर पर बैंक खाता खोलना और नियमानुसार उसका संचालन करना इसमें शामिल है।

43. ब्लॉक/नगर कार्यकारिणी

ब्लॉक/नगर इकाई की कार्यकारिणी में सदस्यों की संख्या अध्यक्ष और महासचिव सहित सामान्यतः 51 होगी, लेकिन ब्लॉक में गांवों की संख्या अधिक होने की स्थिति में इस संख्या को ब्लॉक कार्यकारिणी की आम सहमति से बढ़ाया जा सकता है। ब्लॉक कार्यकारिणी में अधिक से अधिक ग्रामों/ग्राम सभाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा। ब्लॉक/नगर कार्यकारिणी में सदस्यों को ब्लॉक/नगर अध्यक्ष और ब्लॉक/नगर महासचिव पूरी जांच–पड़ताल अर्थात् कार्यकर्त्ता की पृष्ठभूमि देखकर करेंगे।

44. ग्राम प्रतिनिधि एवं इकाई

प्रत्येक ग्राम में पार्टी का एक ग्राम प्रतिनिधि होगा। ग्राम प्रतिनिधि का दायित्व अपने गांव में ग्राम इकाई गठित करना होगा। इस तरह ग्राम इकाई का प्रत्येक सदस्य ब्लॉक इकाई का सदस्य भी होगा। ग्राम प्रतिनिधि अपने गांव की समस्याओं से ब्लॉक इकाई को अवगत कराएगा। ब्लॉक इकाई समस्या की गंभीरता के अनुरूप कार्य करेगी तथा यदि उसे उचित लगे तो समस्या की सूचना जनपद इकाई को दे सकती है और यदि जनपद इकाई को उचित लगे तो पार्टी के केन्द्रीय नेतृत्व को समस्या से अवगत कराया जा सकता है ताकि पार्टी उचित स्तर पर हस्तक्षेप कर सके।

45. छात्र संगठन

पार्टी राज्य के तमाम विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में अपने छात्र संगठन उत्तराखंड छात्र

संगठन (उछास) के नाम से स्थापित करेगी। पार्टी के छात्र संगठनों को पार्टी की नीतियों, विचारधारा और कार्यक्रमों में दीक्षित करने के लिए समय–समय पर कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा, जिनमें पार्टी के दिशानिर्देशक अर्थात् संरक्षकमंडल के सदस्य, राजनीतिक समिति के सदस्य और प्रभारी महासचिव विशेष रूप से हिस्सा लेंगे। छात्र संगठन पार्टी की विचारधारा और नीतियों के अनुरूप अपने–अपने विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में कार्यक्रम आयोजित करेंगे तथा छात्र राजनीति में सक्रिय और चुनावी भागीदारी करेंगे। छात्र संगठनों का द्विवार्षिक सदस्यता शुल्क दस रुपये मात्र होगा।

46. युवा संगठन

युवा संगठन राज्यस्तरीय/जनपद/ब्लॉक/नगर इकाइयों के अनुरूप गठित किये जाएंगे। इनका कार्यक्षेत्र छात्र संगठन की भांति ही होगा। ऐसे संगठनों में द्विवार्षिक सदस्यता शुल्क दस रुपये मात्र होगा।

47. जन संगठन

पार्टी कृषि समेत तमाम क्षेत्रों में कार्यरत संगठित और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और कर्मचारियों, सरकारी कर्मचारियों, दिहाड़ी कर्मचारियों या मजदूरों सहित समाज के सभी वंचित समूहों को संगठित कर उनके श्रम संगठन बनाएगी तथा उनके संघर्षों को आंदोलनों का रूप देकर उन्हें न्याय दिलाएगी। जन संगठनों में द्विवार्षिक सदस्यता शुल्क पांच रुपये मात्र होगा।

48. समर्थन समूह

पार्टी उत्तराखंड राज्य से बाहर यथासंभव विभिन्न नगरों में समर्थन समूहों का गठन करेगी। पार्टी के सरोकारों, मुद्दों और कार्यक्रमों के साथ सहमति रखने वाले विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों को इन समूहों का हिस्सा बनाया जाएगा। इन समर्थन समूहों के संयोजकमंडल होंगे। पार्टी के लिए संसाधन जुटाने में ये समर्थन समूह मदद करेंगे तथा सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ दबाव समूहों की भूमिका निभाएंगे। पार्टी का केन्द्रीय नेतृत्व इन समर्थन समूहों के बराबर संपर्क में रहेगा तथा पार्टी के राष्ट्रीय–अंतर्राष्ट्रीय प्रसंग के संयोजक को इन समर्थन समूहों के साथ संवाद और समन्वय बनाये रखने की जिम्मेदारी दी जाएगी।

49. राष्ट्रीय–अंतर्राष्ट्रीय प्रसंग

विभिन्न समाज आज विभिन्न कारणों से एक–दूसरे के निकट आ रहे हैं और स्थिति ऐसी हो गयी है कि स्थानीय स्तर पर किसी गतिविधि का प्रभाव वैश्विक स्तर पर भी हो सकता है अथवा वैश्विक स्तर पर की गयी कार्रवाई का असर स्थानीय स्तर पर भी महसूस किया जा सकता है। एकपक्षीय वैश्वीकरण, उदारीकरण और बाजारीकरण जैसी प्रतिगामी प्रवृत्तियों ने आज प्रांत और राष्ट्र ही नहीं बल्कि विश्वभर की जनता को अनेक विषयों–मसलों पर एकजुट होने को बाध्य किया है। राजनीतिक रूप से जीवित और जीवंत बने रहने के लिए किसी भी पार्टी के

लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह समान विचारधारा वाली राजनीतिक शक्तियों के राष्ट्रीय और वैश्विक गठजोड़ों का हिस्सा बने। इन परिस्थितियों के दृष्टिगत पार्टी राजनीतिक समिति के किसी सदस्य को संयोजक, राष्ट्रीय–अंतर्राष्ट्रीय प्रसंग की जिम्मेदारी सौंपेगी जो राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर समान विचारधारा वाले दलों–संगठनों के साथ पार्टी और जनता के हित में संवाद, समन्वय और एकजुटता सुनिश्चित करे।

50. प्रांतीय समन्वय

उत्तराखंड राज्य के स्तर पर विभिन्न संगठनों, दलों और समूहों के साथ समन्वय बनाने तथा उनके साथ मिलकर कार्यक्रम देने की जिम्मेदारी किसी केन्द्रीय महासचिव को दी जाएगी। यह महासचिव केन्द्रीय नेतृत्व और विभिन्न संगठनों–दलों के बीच भी समन्वय बनाएगा।

51. समितियां

समाज की विभिन्न चिंताओं का निदान खोजने और ज्वलंत विषयों का अध्ययन कर पार्टी का दृष्टिकोण परिस्थितियों के अनुरूप बनाने के लिए समय–समय पर अन्य समितियों का गठन किया जाएगा। इन समितियों के अध्यक्ष पार्टी अध्यक्ष द्वारा राजनीतिक समिति की सहमति से नामित होंगे।

52. कार्यक्रम निगरानी समिति

राजनीतिक समिति के किसी सदस्य की अध्यक्षता में पांच सदस्यों की कार्यक्रम निगरानी समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति ब्लॉक/नगर, जनपद और केन्द्रीय स्तर पर पार्टी कार्यक्रमों, अभियानों और गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखेगी तथा हर तीन महीने में अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय अध्यक्ष को देगी। महत्वपूर्ण पदों पर तैनाती और चुनावों में उम्मीदवारी जैसे मौकों पर इस रिपोर्ट का संदर्भ प्रासंगिक होगा।

53. केन्द्रीय अनुशासन समिति तथा अनुशासनात्मक कार्रवाई

पार्टी की केन्द्रीय अनुशासन समिति होगी और इसमें अधिकतम पांच सदस्य होंगे। राजनीतिक समिति का कोई सदस्य इसका अध्यक्ष होगा। पार्टी के केन्द्रीय स्तर पर उठने वाले अनुशासन संबंधी जिन विवादों का निपटारा निचले स्तर पर न हो सका हो, उन सबका समाधान यह समिति करेगी तथा आवश्यकतानुसार और पार्टी संविधान के अनुसार निर्णय लेगी तथा कार्रवाई करेगी। केन्द्रीय पदाधिकारियों के मामलों में अनुशासन समिति के निर्णय पर राजनीतिक समिति की दो–तिहाई सहमति आवश्यक होगी। पार्टी संगठन के किसी भी स्तर से पार्टी के किसी भी सदस्य अथवा पदाधिकारी के खिलाफ लिखित रूप में किसी भी स्तर पर प्राप्त शिकायत की जांच सक्षम पदाधिकारी द्वारा की जाएगी और शिकायत सही पाये जाने पर आरोपित सदस्य या पदाधिकारी के खिलाफ दोष की गंभीरता के आधार पर संबंधित इकाई अथवा पार्टी अध्यक्ष के निर्देशानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसमें निलंबन से

लेकर पार्टी से निष्कासन शामिल होगा। निलंबन अथवा निष्कासन की अवधि जांच अधिकारी की संस्तुति के आधार पर तय की जाएगी।

54. प्रकाशन समिति

पार्टी का साहित्य, परचे–पोस्टर, घोषणापत्र, नीतिगत वक्तव्य, दिशा–निर्देशों, विचारधारात्मक और अन्य विषयों से संबंधित प्रकाशनों को प्रकाशन समिति अंतिम रूप देगी। इस समिति का अध्यक्ष राजनीतिक समिति का सदस्य होगा। पार्टी साहित्य किसी भी स्तर पर छपने से पहले राजनीतिक समिति की सहमति अनिवार्य रूप से लेनी होगी। प्रकाशन समिति की देखरेख और राजनीतिक समिति के दिशा–निर्देशन में पार्टी का मुखपत्र भी प्रकाशित किया जाएगा। पार्टी की वेबसाइट के कन्टेन्ट एडीटर/एडमिनिस्ट्रेटर के साथ प्रकाशन समिति का अध्यक्ष समन्वय बनाकर रखेगा ताकि वेबसाइट पर कोई ऐसी सामग्री प्रकाशित/अपलोड न हो सके जो पार्टी संविधान, नीतियों, विचारों और कार्यक्रमों के विपरीत हो।

55. पार्टी संसदीय बोर्ड

पार्टी संसदीय बोर्ड में अधिकतम पांच सदस्य होंगे और राजनीतिक समिति का सदस्य इसका अध्यक्ष होगा। संसदीय बोर्ड लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और स्थानीय स्तरों पर होने वाले चुनावों के लिए पार्टी प्रत्याशियों का चयन करने के लिए जिम्मेदार होगा।

56. योगदान/लेवी

पार्टी संगठन को मजबूत बनाने के आर्थिक सहयोग आवश्यक है। लिहाजा, केन्द्रीय और जनपद स्तर के तमाम पदाधिकारियों, केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यों और समितियों के अध्यक्षों को अनिवार्य रूप से पार्टी को लेवी देनी होगी। यह राशि प्रतिमाह केन्द्रीय पदाधिकारियों के मामले में न्यूनतम सौ रुपये और जनपद स्तर के पदाधिकारियों के मामले में न्यूनतम पचास रुपये होगी। योगदान राशि/लेवी की अधिकतम सीमा नहीं है। इसके अलावा समर्थन समूहों के सदस्यों को भी पार्टी के केन्द्रीय कोष में योगदान के लिए प्रेरित किया जाएगा। पार्टी की वेबसाइट पर भी इस संबंध में अपील की जाएगी तथा देश के नागरिकों से पार्टी को सहयोग देने की अपील भी की जाएगी।

57. मानदेय

पार्टी काडर की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अलग से कोष का निर्माण किया जाएगा। पार्टी कार्यों के लिए पूर्ण रूप से समर्पित सदस्यों के लिए जिम्मेदारी के हिसाब से मासिक मानदेय और भत्तों का निर्धारण राजनीतिक समिति अपने विवेकानुसार करेगी।

58. वाह्य योगदान

पार्टी को हर तरह और खासकर जनविरोधी प्रभावों से मुक्त रखा जाएगा। भारत के संविधान और भारत निर्वाचन आयोग की आचार–संहिता के मानकों के अनुरूप तथा पार्टी की विचारधारा के अनुकूल होने की स्थिति में ही पारदर्शी ढंग से व्यक्तियों, संगठनों अथवा प्रतिष्ठानों से पार्टी के लिए आर्थिक योगदान स्वीकार किया जाएगा। पार्टी यह सुनिश्चित करेगी कि उसे मिलने वाली मदद का स्रोत ऐसा नहीं हो जो पार्टी के विचारों, सिद्धांतों, नीतियों और कार्यक्रमों के प्रतिकूल हो। सहायता विधिसम्मत तरीकों यथा चेक, ड्राफ्ट और मनी ट्रांसफर के माध्यम से ही ली जाएगी। यह योगदान पार्टी के बैंक खाते/खातों में जमा कराया जाएगा।

59. कोष निर्माण, बैंक खाता और संचालन

पार्टी सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में शुचिता, ईमानदारी और पारदर्शिता के सिद्धांतों का पालन करते हुये अपने केन्द्रीय कोष का निर्माण करेगी तथा एक या एक से अधिक सरकारी बैंक/बैंकों में खाता/खाते खोलेगी जिसमें/जिनमें पार्टी की आय और चंदे को जमा किया जाएगा। पार्टी समर्थकों और उत्तराखंड के सरोकारों से जुड़ाव रखने वालों को पार्टी को आर्थिक मदद देने के लिए प्रेरित किया जाएगा। पार्टी के प्राथमिक तथा सक्रिय सदस्यों और पदाधिकारियों से मिले चंदे को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नियमित रूप से बैंक में जमा कराया जाएगा और पार्टी गतिविधियों–कार्यक्रमों के लिए वांछित धनराशि बैंक से निकाली जाएगी। केन्द्रीय कोषाध्यक्ष के अलावा पार्टी का केन्द्रीय अध्यक्ष और प्रधान महासचिव बैंक खाता/खाते संचालित करने के लिए अधिकृत होंगे और बैंक से धन निकालने के लिए अथवा किसी कार्य के लिए किसी पक्ष को चेक देने की स्थिति में आवश्यक होगा कि इन तीन पदाधिकारियों में से किन्हीं दो के चेक पर हस्ताक्षर हों जिनमें कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे और तीसरे अधिकृत पदाधिकारी को इसकी मौखिक/लिखित जानकारी हो।

60. पार्टी की बैठकें

पार्टी की बैठकों की सूचना कम से कम दो सप्ताह पहले दी जाएगी लेकिन आवश्यक और आपात स्थिति में राजनीतिक समिति को तत्काल और तुरंत बैठक बुलाने का अधिकार होगा। पार्टी की किसी भी स्तर पर होने वाली बैठक में पिछली बैठक की समीक्षा अनिवार्य रूप से की जाएगी तथा पिछली बैठक के निर्णयों का अनुमोदन किया जाएगा अथवा किसी निर्णय के विवादास्पद होने की स्थिति में उसे वर्तमान बैठक में फिर से विचार के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। बैठकों की तमाम कार्यवाही लिपिबद्ध की जाएगी।

61. वेबसाइट

पार्टी की वेबसाइट बनायी जाएगी जिसमें पार्टी के संविधान, नीति–निर्देशक सिद्धांत, विचारधारा, नीतियों तथा कार्यक्रमों संबंधी जानकारी के अलावा ऑडिट की गयी वार्षिक वित्तीय

रिपोर्ट के साथ उत्तराखंड राज्य आंदोलन और पार्टी की पृष्ठभूमि संबंधी जानकारियां भी उपलब्ध होंगी। वेबसाइट आरंभ में हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में होगी तथा बाद में उत्तराखंड की स्थानीय भाषाओं में भी बनायी जाएगी। उत्तराखंड संबंधी विभिन्न वेबसाइटों से इसे जोड़ा जाएगा। वैश्विक स्तर पर समान कार्य करने वाली राजनीतिक पार्टियों, संगठनों की वेबसाइटों से भी पार्टी–वेबसाइट का लिंक बनाया जाएगा। वेबसाइट का संचालन, संपादन, कटेंट मैनेजमेंट इत्यादि कार्य संपन्न करने के लिए टीम गठित की जाएगी और इसकी जिम्मेदारी राजनीतिक समिति के किसी सदस्य की होगी।

62. कार्यालय सचिव

पार्टी मुख्यालय अथवा केन्द्रीय कैंप कार्यालय के विचारार्थ आये तमाम कार्यों का संपादन कार्यालय सचिव पार्टी मुख्यालय प्रभारी महासचिव के निर्देशन में करेगा। यदि आवश्यक और संभव हो तो पार्टी मुख्यालय के कामकाज को निपटाने के लिए कर्मचारियों की वेतन पर भी भर्ती की जा सकती है। कार्यालय सचिव तमाम केन्द्रीय कार्यक्रमों, गतिविधियों, बैठकों, निर्णयों इत्यादि की सूचना पार्टी मुख्यालय प्रभारी महासचिव की अनुमति से संरक्षकमंडल के तमाम सदस्यों, राजनीतिक समिति, समस्त केन्द्रीय पदाधिकारियों, केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यों तथा तमाम जनपद इकाइयों को समय रहते भेजेगा। वार्षिक और द्विवार्षिक महाधिवेशनों की सूचना तमाम सक्रिय सदस्यों को भेजने की जिम्मेदारी भी कार्यालय सचिव की होगी। पार्टी की राजनीतिक समिति चाहे तो कार्यालय सचिव के लिए मासिक मानदेय तय कर सकती है। कार्यालय सचिव के लिए न्यूनतम योग्यता केन्द्रीय कार्यकारिणी का सदस्य होना अनिवार्य है। कार्यालय सचिव की उपस्थिति हर उस बैठक में अनिवार्य होगी, जिसमें उसे पार्टी अध्यक्ष, प्रधान महासचिव अथवा पार्टी मुख्यालय प्रभारी महासचिव द्वारा बुलाया गया हो। इस पद पर आसीन व्यक्ति का दायित्व हर उस बैठक के मिनिट्स (विवरण) लेना होगा, जिसमें उसकी उपस्थिति होगी। कार्यालय सचिव पार्टी मुख्यालय का मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी भी होगा।

63. ऑडिट

राजनीतिक समिति द्वारा तय ऑडिटर/ऑडिटरों द्वारा हर वित्तीय वर्ष में पार्टी के केन्द्रीय खातों का ऑडिट कराया जाएगा तथा इसकी सूचना भारत निर्वाचन आयोग तथा संबंधित विभागों/पक्षों को भेजी जाएगी। कार्यकारिणी की बैठक में भी ऑडिट की गयी वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट कोषाध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत की जाएगी। पार्टी का वित्तीय वर्ष एक अप्रैल से अगले वर्ष 31 मार्च तक का होगा। ऑडिट की गयी वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट की प्रतियां सभी केन्द्रीय पदाधिकारियों और जनपद अध्यक्षों को भेजी जाएंगी तथा रिकॉर्ड के रूप में पार्टी के केन्द्रीय कार्यालय में रखी जाएंगी। पार्टी का कोई भी सदस्य अथवा पदाधिकारी कार्यालय सचिव को पूर्व सूचना देकर ऑडिट की गयी वित्तीय रिपोर्ट की जांच कर सकता है। यदि किसी पदाधिकारी या सदस्य को वित्तीय रिपोर्टों में अनियमितता दिखाई देती है तो इस बारे में

लिखित शिकायत पार्टी के केन्द्रीय अध्यक्ष से की जा सकती है। शिकायत की जांच अध्यक्ष द्वारा नामित समिति करेगी और समिति की रिपोर्ट के आधार पर केन्द्रीय अध्यक्ष कार्रवाई करेगा।

64. भारत निर्वाचन आयोग और पार्टी चुनाव चिन्ह

भारत निर्वाचन आयोग में पार्टी के पंजीयन तथा पार्टी के मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने की स्थिति में निर्धारित पार्टी चुनाव चिन्ह के लिए आवेदन निर्वाचन आयोग में किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग को समय–समय पर अथवा मांगे जाने पर यथोचित जानकारी/सूचना प्रेषित की जाएगी। द्विवार्षिक महाधिवेशन में निर्वाचित/चयनित सभी नये केन्द्रीय पदाधिकारियों, केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यों, राजनीतिक समिति के सदस्यों तथा अन्य पदाधिकारियों के बारे में निर्वाचन आयोग को सूचित किया जाएगा। ऑडिट की गयी वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट भी निर्वाचन आयोग को भेजी जाएगी।

65. संविधान संशोधन

पार्टी के संविधान में किसी भी तरह का संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्द्धन करने का अधिकार केवल महासभा को होगा, हालांकि संविधान में संशोधन, परिवर्तन, परिवर्द्धन इत्यादि का मसौदा तैयार करने के लिए पार्टी अध्यक्ष राजनीतिक समिति के दो–तिहाई बहुमत से समिति का गठन कर सकता है। समिति द्वारा तैयार मसौदे पर महासभा अपने द्विवार्षिक अधिवेशन में अंतिम निर्णय लेगी तथा पार्टी संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन, परिवर्द्धन अथवा परिवर्तन दो–तिहाई बहुमत से ही कर सकेगी।

66. विलय, नाम परिवर्तन अथवा विघटन

पार्टी का किसी अन्य पार्टी में विलय या किसी अन्य पार्टी का इस पार्टी में विलय, पार्टी का नाम परिवर्तन अथवा पार्टी का विघटन देश की संवैधानिक व्यवस्था और पार्टी संविधान के अनुरूप ही किया जाएगा तथा इस संबंध में पूरी सावधानी बरती जाएगी। ऐसे किसी भी निर्णय में महासभा का न्यूनतम दो–तिहाई बहुमत अनिवार्य होगा।

***

अनुलग्नक–एक

नीतिपत्र

1. प्रस्तावना तथा मंतव्य

मध्य हिमालय क्षेत्र अर्थात् उत्तराखंड में पुरातन काल से ही आस्था, ज्ञान, सौहार्द और सहकारिता की धारा बहती रही है। पुरातन काल में इसे केदारखंड और मानसखंड के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। कालांतर में कत्यूर, चंद, शाह और गोरखा शासन से होता हुआ 1815 में यह क्षेत्र अग्रेजों के अधीन आया। देश में ब्रिटिश शासन की गुलामी का दंश इस क्षेत्र के बड़े हिस्से ने भी उसी तरह झेला जैसा देश के अन्य हिस्सों ने। अंग्रेजी शासन की जनविरोधी नीतियों का सीधा असर आम जनता पर पड़ा। इसके प्रतिकार के रूप में क्षेत्र में राजनीतिक चेतना का विकास समय–समय पर होता रहा। जंगलात को लेकर व्यापक अंसतोष की जड़ में अंग्रेजों के वे काले कानून थे जो यहां की जनता पर मजबूरन थोपे जाते रहे। आजादी के आंदोलन में जंगलात और भूमि लगान से उपजे असंतोष ने लोगों को राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्यधारा से जोड़ा। इस दौरान पहाड़ से राजनीति की एक ऐसी समझ का उदय हुआ जो जनसरोकारों से जुड़कर आंदोलन का व्यापक फलक तैयार करने में कामयाब रही। राजनीतिक चेतना को ताकत देने में 1916 में गठित कुमाऊं परिषद् की महत्वपूर्ण भूमिका रही। बागेश्वर में 1921 में कुली बेगार के खिलाफ आंदोलन ने इस धारा को मजबूती प्रदान की। तीस के दशक में टिहरी रियासत के खिलाफ जंगलात आंदोलन प्रारंभ हुआ। आजादी के बाद यहां भी लगातार जनसंघर्षो से जुड़े संगठनों का वर्चस्व रहा। सल्ट, सालम के शहीदों ने क्षेत्र में राजनीतिक चेतना की नई अलख जगायी तो टिहरी में श्रीदेव सुमन, मालू और नागेन्द्र सकलानी की शहादत ने उत्तराखंड की राजनीतिक चेतना को नई दिशा दी।

देश की आजादी के बाद भी उत्तराखंड में जनपक्षीय राजनीतिक धारा का सफर जारी है। देश की राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन की जरूरत और उसके लिये बन रहे माहौल में यहां के युवाओं की बड़ी संख्या में भागीदारी शुरू हुयी। सत्तर का दशक आते–आते यह नई युवा चेतना में तब्दील हो गयी। वन आंदोलन जनचेतना का प्रमुख रूप से वाहक बना। इसने लोगों में अपने हकों के लिये लड़ने का रास्ता भी तैयार किया। युवाओं की यह शक्ति बाद में उत्तराखंड जनसंघर्ष वाहिनी के रूप में सामने आयी। वर्ष 1984 में 'नशा नहीं, रोजगार दो' आंदोलन, तराई में भूमिहीनों के हकों की लड़ाई के अलावा नशामुक्त और माफियामुक्त उत्तराखंड के लिए लगातार संघर्ष जारी रहे। यही युवा शक्ति बाद में राज्य आंदोलन की बड़ी और निर्णायक शक्ति बनी और इसकी चेतना राज्य के सवालों को आज भी जिन्दा रखे है।

राज्य के सवाल को राजनीतिक रूप से दिशा देने के उद्देश्य से वर्ष 1979 में उत्तराखंड क्रान्ति दल (उक्रांद) के नाम से क्षेत्रीय राजनीतिक दल का उदय हुआ। इस संगठन में वे सब लोग थे जिन्होंने लंबे समय तक क्षेत्र के विभिन्न आंदोलनों में शिरकत की। उक्रांद राज्य की प्रासंगिकता को लोगों को बताने में तो कामयाब रहा लेकिन उसने पहले तो जनता की पूरी लड़ाई राज्यविरोधी बड़े राजनीतिक दलों के

हाथों में दे दी और बाद में उन्हीं से गठजोड़ कर सत्ता की चौखट तक जा पहुंचा।

स्पष्ट है कि उत्तराखंड राज्य की स्थापना नौ नवम्बर 2000 को होने के बाद भी उत्तराखंड में घनघोर जनपक्षीय राजनीतिक शून्यता है। व्यापक जनान्दोलनों, संघर्षों तथा बलिदानों के बाद अस्तित्व में आये राज्य की मूल अवधारणा के साथ खिलवाड़ जारी है। परिणामस्वरूप, जनता में आक्रोश, हताशा और निराशा है। शुरू में ही राज्य पर ऐसा नेतृत्व ऊपर से थोपा गया जो राज्य की स्थापना की मूल धारणा के खिलाफ था। उत्तराखंड में आज भी अधिकतर समूहों और समाजों तक न्याय की किरण नहीं पहुंच पायी है। जीविका के समान साधन और अवसर नहीं बन पाए हैं और भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण पूंजीपति हाथों में है। नागरिकों की उन्नति और कल्याण के लिए लोकतंत्र के तथाकथित नाम से जिस व्यवस्था का ढांचा मजबूत किया गया उसका चरित्र किसी भी पूर्व शोषणकारी ढांचे से हटकर नहीं है। घिसीपिटी व्यवस्था ने आर्थिक न्याय के प्रश्न को पीछे धकेल दिया है अर्थात् लोकतंत्र की बुनियादी समझ को किनारे कर दिया है। इसे दुखद ही कहा जाएगा कि विकास का अर्थ प्राकृतिक धरोहरों के शोषणकारी दोहन और धन की बरबादी तक सीमित कर दिया गया है।

राज्य की अवधारणा को दूषित, छद्म और प्रभावहीन साबित करने के प्रयास नौकरशाही के स्तर पर भी किये जा रहे हैं। राज्य के किसी गांव की तस्वीर बदली हो, ऐसा कोई उदाहरण भी नहीं दिखाई देता है। जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप जिस उत्तराखंड राज्य की परिकल्पना की गयी थी, वह अभी तक बन नहीं पाया है। अस्तु, राज्य में नयी राजनीति की स्थापना के साथ आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। इसीलिए वर्ष 2007 में उत्तराखंड परिवर्तन अभियान की स्थापना की गयी। यह अचानक नहीं हुआ। भाजपा सरकार को सिद्धांतविहीन समर्थन देने की उत्तराखंड क्रांति दल की अवसरवादिता ने जब राज्य की जनता के सपनों को चूर–चूर कर दिया तो उत्तराखंड परिवर्तन अभियान ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुये नयी राजनीतिक प्रक्रिया को तेज किया। गंगोत्तरी, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, रामनगर, हल्द्वानी और बागेश्वर से लेकर देहरादून, दिल्ली, श्रीनगर, नैनीताल, द्वाराहाट, ऊधमसिंह नगर, चौखुटिया सहित अनेक जगह आयोजित की गयी बैठकें इस राजनीतिक पहल की गवाह हैं। वस्तुतः उत्तराखंड के बेचैन समाज को अभिव्यक्ति देने के लिए नया राजनीतिक विकल्प उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के रूप में साकार हुआ है।

2. हस्तक्षेप

राजनीतिक अवसरवादिता और समझौतावाद से उपजी बेचैनी को उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने महसूस किया है। राजनीतिक धारा में मजबूत हस्तक्षेप को पार्टी इसलिए आवश्यक मानती है क्योंकि लोकतंत्र में नीतियां इसी में शामिल होकर बनेंगी। राज्य के तमाम सवाल राजनीतिक हैं और उनका समाधान भी राजनीतिक है। पार्टी राजनीति को साध्य नहीं साधन के रूप में देखती है। पार्टी इस बात की जरूरत महसूस करती है कि उत्तराखंड की दशकों से संचित राजनीतिक चेतना को एक ऐसी दिशा मिले जो बेहतर राज्य के सपने को साकार कर सके। पार्टी यह भी समझती है कि कुछ दशक पहले जो बदलाव की मुहिम शुरू हुयी थी वह पूरी नहीं हुयी है। समस्याएं यथावत हैं। उनके समाधान नहीं निकले हैं। राज्य प्राप्ति से सब कुछ ठीक नहीं माना जा सकता। इस समय सबसे बड़ी चुनौती यह है कि समाज की उन आकांक्षाओं को कैसे पूरा किया जाय जो उसने आजादी के बाद संघर्षों के दौरान पाली थीं। इन्हीं को साकार करने के लिये उत्तराखंड के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, पारिस्थितिक और आर्थिक विकास के बारे में सोचना है ताकि उत्तराखंड खुशहाल और संपन्न राज्य बने।

इसी परिकल्पना की परिणति है उत्तराखंड में इस नये दल की स्थापना, जिसमें वे सब लोग शामिल हैं जिन्होंने राजनीतिक चेतना की अलख जगाई। इसमें सहभागी हैं वे सब जो बदलाव की तमाम कोशिशों में शामिल रहे लेकिन नेतृत्वकारी शक्तियों द्वारा छले गये। यह पार्टी उन सभी लोगों का भी मंच है जो अपने–अपने दलों में निराश तो हैं लेकिन किसी अच्छी पहल के साथ जुड़कर इसे सार्थक दिशा भी देना चाहते हैं।

बताते चलें कि नयी पार्टी के गठन की आवश्यकता क्षेत्रीय राजनीति की असफलता ने पैदा की। उत्तराखंड क्रांति दल और उसके जैसे कुछ अन्य नये–पुराने संगठन वह दे नहीं पाए हैं जिसकी अपेक्षा और आवश्यकता आम लोगों को है। आज भी आम आदमी ठगा महसूस कर रहा है और राजनीतिक दलों और नेताओं में उसका विश्वास बहाल नहीं हो पा रहा है। यह स्वाभाविक है और सच भी। क्या कोई जनता को बता सकता है कि उत्तराखंड में कौन सा दल है जो राजधानी के सवाल का समाधान करा पाया हो? कौन सी पार्टी है जिसने परिसंपत्तियों और प्राकृतिक धरोहरों में उत्तराखंड की हिस्सेदारी न्यायपूर्ण कराने में कामयाबी हासिल की हो, अर्थात् उत्तराखंड को क्षेत्रफल के आधार पर परिसंपत्तियों में उसका न्यायपूर्ण हिस्सा उत्तर प्रदेश से दिलवाया हो? वह कौन सा दल है जिसने उत्तराखंड की जनता के अधिकार उसकी प्राकृतिक धरोहरों पर बहाल करवाए हों? वह कौन सा दल है जिसने विकल्पधारियों का मसला हल कराया हो? वह कौन सी पार्टी या राजनीतिक संगठन है जिसने परिसीमन की लड़ाई जीतने के लिए जी–जान लगा दी हो? असल में, अपने आप को राष्ट्रीय या सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टी होने का दम भरने वाले दल यह नहीं करा पाये हैं। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी यह सब करने/कराने का साहस रखती है।

प्रगतिशील नये विचारों, नवनीत अवधारणाओं और रचनात्मक परिकल्पनाओं के लिए यथोचित स्थान की गारंटी के साथ परिवर्तन पार्टी इस बात का उल्लेख करना आवश्यक समझती है कि आम उत्तराखंडी अपने आप को जितना अनजान और अजनबी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में महसूस करता था, उतना ही अजनबी आज वह स्वयं को अस्थाई और अंतरिम राजधानी देहरादून में पाता है। राजनीति और सत्ता के दलालों की लोभी प्रवृत्तियां, नौकरशाहों की मनमानी की आदतें और पुलिस की तानाशाही तथा सबसे बढ़कर राजनीतिक नेतृत्व की असंवेदनशीलता की सड़ांध को राज्य में कहीं भी महसूस किया जा सकता है। सर्वप्रथम भाजपा की अंतरिम सरकार, उसके बाद कांग्रेस की 'निर्वाचित' सरकार और अब भाजपा की 'निर्वाचित' सरकार ने इस सड़ांध को और बढ़ाया है। दलाली से चलने वाले प्रशासन को और मजबूत किया है। उत्तराखंड भर में आज शासन की ऐसी कोई व्यवस्था ढूंढने से भी नहीं मिलेगी जिसे भ्रष्टाचार का जंग न लग गया हो। नित नये घोटालों ने उत्तराखंड को भ्रष्ट राज्यों में शुमार कर दिया है। वस्तुतः यह अत्यंत निंदनीय स्थिति है।

राज्य निर्माण के बाद समाज के हाशिये पर धकेल दिये गये तबकों– खासकर दलितों, महिलाओं, दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अल्पसंख्यकों, शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों, खेतिहर मजदूरों, अन्य असंगठित दिहाड़ी मजदूरों, बेरोजगारों, बुजुर्गों, शारीरिक और मानसिक रूप से अशक्त लोगों और अन्य गरीबों के प्रति सरकार और तथाकथित बड़े राजनीतिक दलों की असंवेदनशीलता खासकर बढ़ी है। अपने आप को क्षेत्रीय राजनीति की मुख्यधारा समझने वाली पार्टी के पास भी ऐसा कोई विचार नहीं है जो आम जन को उसकी परेशानियों और संकटों से बाहर निकलने का रास्ता दिखाता हो।

राज्य की राजधानी, जल–जंगल–जमीन की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान बनाने से लेकर पर्वतीय जनपदों के लिए अलग औद्योगिक नीति बनाने तथा विकल्पधारियों की वापसी और परिसीमन जैसे अनेक मुद्दों को नौसूत्री मांगपत्र में पिरोकर भाजपा को समर्थन देने का ढोंग रचने वाले उक्रांद से पूछा जाना चाहिए कि अपने मांगपत्र के समर्थन में उसने कौन सा आंदोलन खड़ा किया है। तथाकथित गठबंधन धर्म–निभाने का अर्थ क्या किसी राजनीतिक पार्टी के पास स्वयं को गिरवी रखना हो सकता है? उत्तराखंड की जनता की इच्छा के विरुद्ध उस पर जबरन थोप दिये गये परिसीमन के विरोध में यह पार्टी क्यों आंदोलन खड़ा नहीं कर पायी? क्यों नहीं इस पार्टी के विधायकों ने भाजपा मुख्यमंत्री को विधानसभा में परिसीमन के विरुद्ध प्रस्ताव पारित करवा कर केन्द्र को भेजने के लिए बाध्य किया। यदि तार्किक आधार पर देश के पांच राज्यों को परिसीमन से छूट मिली तो उत्तराखंड को भी मिल सकती थी।

क्षेत्र के विकास के नाम पर बन रही पनबिजली परियोजनाओं तथा अन्य योजनाओं से जनता के साथ–साथ पर्यावरण और पारिस्थितिकतंत्र को भारी नुकसान हो रहा है। आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसा संकट पैदा किया जा रहा है जिससे निजात पाना उनके लिए अत्यंत कठिन होगा। आंदोलन की सूत्रधार जनता ने जिस पहचान के लिए आंदोलन खड़ा किया था वह पहचान भी आज तक नहीं बन पायी है।

अंततः उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी राजनीतिक हस्तक्षेप की ऐसी आधारशिला रखना चाहती है जो उत्तराखंड की जनता के लिए प्रगतिशील और समतामूलक विचारधारा पर आधारित राजनीतिक व्यवस्था स्थापित कर सके। पार्टी ग्राम सरकार की स्थापना करने से लेकर विधानसभा की व्यवस्थायें समानता, धर्मनिरपेक्षता और राजनीतिक प्रगतिशीलता के आधार पर बनाएगी तथा आवश्यकता पड़ने पर सड़क से संसद तक संघर्ष करेगी। मौजूदा राजनीतिक प्रक्रिया में पूर्ण हिस्सेदारी कर इसे जनता के पक्ष में बनाने या बदलने का काम भी यह पार्टी करेगी। नयी सहस्त्राब्दी में हरित चेतना के पर्याय कैनबरा घोषणापत्र जैसे ग्लोबल ग्रीन्स के दस्तावेज में आस्था रखते हुये प्रकृति और मनुष्य के आपसी रिश्ते को फिर से मूल्यवान बनाने की दिशा में भी पार्टी सार्थक पहल करेगी।

पार्टी सच्चे लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और समरसता, पारिस्थितिकी के अनुकूल आर्थिकी, संस्कृति और धरोहरों के संरक्षण, सूचनाओं की पारदर्शिता, स्थानीय से लेकर वैश्विक जिम्मेदारी और भावी पीढ़ियों के अनुकूल नीतियों, परियोजनाओं, संकल्पनाओं, कार्यक्रमों और नियमों के अनुसार कार्य करेगी। सच्चे लोकतंत्र से पार्टी का अभिप्राय है सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिस्थितिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तरों पर निर्णयों में जनभागीदारी। सामाजिक न्याय और समरसता से तात्पर्य है लिंग, आयु, नस्ल, वर्ग, धर्म इत्यादि के आधार पर व्याप्त भेदभाव को दूर करना तथा गरीब और अमीर के बीच की खाई को समाप्त करना। इसी प्रकार पारिस्थितिकी अनुकूल आर्थिकी से तात्पर्य है पर्यावरण और पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचाये बिना आर्थिक नीतियों का नये ढंग से विकास करना तथा ऊर्जा के ऐसे साधनों पर निर्भरता कम करना जिनका नवीकरण नहीं किया जा सकता है अथवा जिनसे प्रदूषण बढ़ता हो और स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयां पैदा होती हों। संस्कृति से तात्पर्य है राज्य में रह रहे सभी नस्लों, धर्मों और समुदायों के लोगों के जीवन मूल्यों और जीवन पद्धतियों का सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित करना। पारदर्शिता के तहत जनता और शासन के विभिन्न स्तरों के बीच सही सूचनाओं का आदान–प्रदान सुनिश्चित करना। इसी प्रकार स्थानीयता से लेकर वैश्विक जिम्मेदारी का अर्थ है शोषित

और उत्पीड़ित समाजों और आम जन के पक्ष में खड़े होते हुये बाजारवाद को बढ़ावा देने वाली उदारीकरण और एकतरफा वैश्वीकरण की ताकतों तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों को हतोत्साहित करना तथा इस कार्य में क्षेत्रीय, राज्यस्तरीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समान विचार वाली शक्तियों के साथ गठजोड़ करना।

इसी प्रकार सार्थक और रचनात्मक कार्यों का तात्पर्य है ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करना जो सामाजिक रूप से लाभदायक हों और पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए लोगों को पर्याप्त आर्थिक लाभ करा सकें।

3. पहचान

यह पार्टी उत्तराखंड राज्य के हर स्थायी निवासी, प्रवासी या उत्तराखंड मूल के हर व्यक्ति को उत्तराखंडी मानती है– चाहे व्यक्ति राज्य के पहाड़ी, मैदानी, वन या भाबर में से किसी भी क्षेत्र का निवासी हो और चाहे किसी भी धर्म–संप्रदाय में आस्था रखता हो और चाहे किसी भी राजनीतिक अथवा अन्य विचारधारा में विश्वास रखता हो। लेकिन, अपने अवैध व्यावसायिक हितों को आगे बढ़ाने वालों, माफिया तथा जमीनों की बड़े पैमाने पर खरीद–फरोख्त या लूटखसोट करने वालों को यह पार्टी उत्तराखंडी नहीं मानती है। राज्य के भीतर विभिन्न संस्कृतियों और पृष्ठभूमियों से जुड़े समाज हैं, अतः इन सबकी सामूहिक उत्तराखंडी पहचान के निर्माण का कार्य इस तरह से किया जाएगा कि ये समाज अपनी निजी पहचान कायम रखते हुए व्यापक उत्तराखंडी पहचान से स्वयं को जोड़ सकें और साथ ही व्यापक जनता के हित में संघर्ष कर सकें।

4. पार्टी के लिए लोकतंत्र की व्याख्या

लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए राजनीतिक व्यवस्था में पारदर्शिता, ईमानदारी और राजनीतिक संगठनों और पार्टियों के भीतर लोकतंत्र आवश्यक है। पार्टी का मानना है कि चुनावी प्रणाली में धनबल पर अंकुश लगाने जैसी व्यवस्थाओं से उत्तराखंड में लोकतंत्र मजबूत होगा और उसमें प्रत्यक्षता आएगी। इसके लिए लोकतंत्र के सबसे आवश्यक और महत्वपूर्ण खंबे अर्थात् जनता को शक्तिवान बनाना होगा। लेकिन आज भी व्यवस्था में भ्रष्टाचार व्याप्त है, मानवाधिकारों का हनन जारी है, प्रेस पर अंकुश है और राजनीतिक गुंडागर्दी है। परिवर्तन पार्टी व्यवस्था में बदलाव कर इन प्रतिगामी प्रवृत्तियों को रोकेगी और असली और प्रत्यक्ष लोकतंत्र की सही व्याख्या को चरितार्थ करेगी।

5. सजग और प्रत्यक्ष लोकतंत्र

भारत के संविधान में सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हैं। उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और सामाजिक कार्यों में सहभागिता की छूट है। लेकिन, व्यवहार में ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी जीवन के सभी क्षेत्रों में जीवंत और सजग लोकतंत्र की स्थापना और जनता की सक्रिय और स्पष्ट भागीदारी सुनिश्चित करेगी तथा भारत के संविधान की मूल भावना के अनुसार काम करते हुये इसे और पुष्ट करने के लिये संघर्ष करेगी। साथ ही, उत्तराखंड राज्य के भीतर सत्ता को राज्य, जनपद और ग्राम सरकार स्तर तक विकेन्द्रित करने या कराने के प्रति पार्टी दृढ़संकल्प है। संक्षेप में, ऐसा प्रत्यक्ष लोकतंत्र जहां प्रत्येक ग्राम को अपने हिसाब से अपनी व्यवस्था और बंदोबस्त तय करने का अधिकार हो और उसमें शासकीय, प्रशासकीय और राजनीतिक हस्तक्षेप न हो। जीवंत लोकतंत्र के लिए साथ ही जरूरी है– सूचनाओं तक प्रत्येक नागरिक की पहुंच सुनिश्चित करना। संपत्ति और शक्ति से उत्पन्न असमानता की दीवारों को

तोड़ना। जमीनी स्तर से संस्थाओं का निर्माण करना और उनमें जनभागीदारी सुनिश्चित करना। जनप्रतिनिधित्व वाली संस्थाओं में लोकतंत्र, पारदर्शिता, ईमानदारी तथा जवाबदेही सुनिश्चित करना और उन्हें इन सिद्धांतों पर चलने के लिए प्रेरित करना। गांवों में पटवारी व्यवस्था को बनाये रखते हुये पार्टी शहरी पुलिस और अन्य प्रशासनिक इकाइयों को स्वशासी स्थानीय संस्थाओं के नियंत्रण में लाएगी, इस तरह वास्तविक लोकतंत्र और आत्मनिर्भर ग्राम सरकार का सपना साकार करेगी।

6. भारतीय संघ की अवधारणा

केन्द्र और राज्य के संबंधों को पुनर्परिभाषित और पुनर्व्यस्थित किये जाने तथा गांव के स्तर तक सत्ता का विकेन्द्रीकरण अर्थात् ग्राम सरकार की स्थापना के लिए संघ की परिभाषा को स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। पार्टी का स्पष्ट तौर पर मानना है कि यदि मानवाधिकारों की रक्षा करनी है और जनता की विभिन्न पहचानों को जनतांत्रिक स्वशासन तथा पहचान के अवसर उपलब्ध कराने हैं तो भारत राज्य को सही मायने में संघीय आधार पर पुनर्गठित करना होगा। आदिवासी और आदम समाजों के लिए स्वायत्तता के विचार से पार्टी सहमत है और उत्तराखंड में थारू, बनरावत, बोक्सा, शौका, वनगुज्जर, भोटिया, मारछा, जौनसारी, जौनपुरी जैसे सभी समाजों को वृहत्तर व्यवस्था के भीतर स्वायत्तता का अवसर दिया जाएगा। यह कदम ग्राम सरकार की अवधारणा को और पुष्ट करेगा। आदिवासी समाजों, जनजातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की जमीनों की खरीद–फरोख्त अन्य वर्गों के लोगों को किसी भी रूप में नहीं करने दी जाएगी। जो जमीनें गलत तरीके से हस्तांतरित की गयी हैं अथवा दान या उपहार के रूप में दिखायी गयी हैं, उन्हें मूल भू–स्वामियों को लौटाया जाएगा।

7. सामाजिक न्याय और समता

पार्टी का स्पष्ट रूप से मानना है कि प्राकृतिक धरोहरों और आर्थिक संसाधनों के समान वितरण से ही सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सकता है। नागरिकों को निजी और अपने–अपने समाज की उन्नति के लिए समान अवसर उपलब्ध होने भी आवश्यक हैं। पार्टी की आस्था इसमें भी है कि पारिस्थितिकी और पर्यावरण के स्तर पर न्याय नहीं होगा तो सामाजिक स्तर पर न्याय हो पाना असंभव है। इसी प्रकार सामाजिक न्याय नहीं होगा तो पारिस्थितिक स्तर पर न्याय की गुंजाइश नहीं रह जाती है। साथ ही, सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक परिप्रेक्ष्यों में गरीबी और अशिक्षा को दूर करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त लिंग, नस्ल, जाति, आयु, धर्म, वर्ग और संप्रदाय के आधार पर भेदभाव किये बिना लोगों को समान स्तर पर लाने का प्रयास ही सामाजिक न्याय को परिभाषित करेगा। यह कहना भी आवश्यक है कि विभिन्न वर्गों में जीवन स्तरों और अवसरों की असमानता को दूर करना बड़ा लक्ष्य है। महिलाओं और अल्पसंख्यकों सहित वंचित वर्गों और उपेक्षित समाजों को जीवनस्तर और अवसरों के बीच के फासले का सामना ज्यादा करना पड़ता है। पार्टी इन्हें दूर करने के लिए भरोसेमंद उपाय करेगी।

8. मानवाधिकार

आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद के नाम पर निर्दोष लोगों को प्रताड़ित कर जेलों में बंद किया जाना सरकार के जनविरोधी चरित्र का उदाहरण है। हमारी पार्टी मानवाधिकार संबंधी राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय घोषणाओं, संकल्पों तथा विभिन्न संगठनों के महत्वपूर्ण दस्तावेजों के आलोक में सुनिश्चित करेगी कि राज्य में मानवाधिकार हनन की कोई घटना न हो। पार्टी संघर्षरत रहेगी

कि मनुष्य और अन्य प्राणिमात्र को सहज और स्वस्थ, नैसर्गिक और प्राकृतिक परिवेश मिले तथा प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहरों पर विभिन्न समाजों के पारंपरिक हक–हुकूक बन रहें। पार्टी का यह भी मानना है कि मृत्युदंड किसी भी स्थिति या परिस्थिति में नहीं दिया जाना चाहिए चूंकि ऐसी व्यवस्था से किसी भी समाज में अपराध कम नहीं हुये हैं। इसके बजाय सामाजिक बराबरी सुनिश्चित करके समाज को अपराधमुक्त बनाने के प्रयास किये जाएंगे।

9. अहिंसा, शान्ति, सुरक्षा और सद्भाव

हमारी पार्टी जीवनदर्शन में अहिंसा के स्थान को स्वीकार करती है और इसका महत्व समझती है। पार्टी की धारणा है कि समाज का सशक्तिकरण शक्ति–प्रदर्शन नहीं बल्कि श्रम और सहयोग से ही संभव है। पार्टी हर स्तर पर अहिंसा, शांति, सुरक्षा और सद्भाव बनाये रखने के लिए आवश्यक उपाय और व्यवस्था करेगी।

10. विविधता का महत्व

पार्टी सांस्कृतिक, भाषाई, नस्लीय, लैंगिक, धार्मिक और आध्यात्मिक विविधता का सम्मान करती है। इस व्याख्या में मूल निवासियों, आदिवासियों और घुमंतू समुदायों की जीवन पद्धतियों, सामाजिक–आर्थिक–सांस्कृतिक परिवेशों, इत्यादि के लिए सम्मान और सुरक्षा शामिल हैं। धार्मिक और नस्लीय अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा बिना किसी भेदभाव के सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा पार्टी सुनिश्चित करेगी कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पारिस्थितिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में महिलाओं के लिए समानता हो। उत्तराखंड में ऐसी आर्थिक नीतियां और योजनाएं स्वीकार नहीं की जाएंगी जिनकी वजह से स्थानीय, प्राकृतिक और कृषि धरोहरों पर आधारित आर्थिकी को हानि पहुंचती हो। अर्थात् स्वायत्त, स्वदेशी और सादा जीवन पद्धतियों के अनुरूप अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित किया जाएगा। बाजारवाद, उदारीकरण, एकपक्षीय वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पादों की गुलामी से मुक्ति के उपाय खोजे जाएंगे। परम्परागत व्यवसायों, उपक्रमों, हुनरों, शिल्पों इत्यादि को प्रोत्साहित कर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में नव–साम्राज्यवादी आक्रमणों का मुकाबला किया जाएगा। ऐसा करने से रोजगार के नये अवसर खुलेंगे, पलायन थमेगा और ग्रामीण–शहरी अर्थव्यवस्थाएं मजबूत होंगी। आर्थिकी के विकेन्द्रीकरण से प्रशासनिक कार्य कम होंगे, उन पर निर्भरता घटेगी और भ्रष्टाचार पर अंकुश भी लगेगा। ऐसे तमाम कृत्यों में क्षेत्र विशेष की परिस्थितियों, पर्यावरण और पारिस्थितिकतंत्र का संज्ञान अवश्य लिया जाएगा। जनपक्षीय पर्यावरण और पारिस्थितिकीय अधिनियमों का उल्लंघन नहीं होने दिया जाएगा। जो अधिनियम जनता के पक्ष में न हों तो उन्हें बदलवाने या उनमें संशोधनों के लिए पार्टी संघर्ष करेगी। प्राकृतिक धरोहरों और मानव निर्मित संसाधनों पर आधारित आर्थिकी विकसित करने के साथ–साथ शोषणकारी वैश्विक वित्तीय संस्थाओं यथा विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋणों पर आधारित ऐसी तमाम परियोजनाओं को बंद किया जाएगा क्योंकि इस तरह की परियोजनाओं से स्थानीय अर्थव्यवस्था और बाजार पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

कृषि, पशुपालन और वन उपजों पर आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य के तमाम संसाधनों का स्थानीय स्तर पर उपयोग किया जाएगा। इसके लिये सही नियोजन और संरक्षण की जरूरत है। जमीनों को उसकी प्रकृत्ति और गुण के आधार पर चिन्हित किया जायेगा और पार्टी इस

बात पर विशेष ध्यान देगी कि राज्य में अधिकतर जमीन कृषि योग्य बन सके।

11. टिकाऊ और सतत संरक्षण

पश्चिमी भोगवादी जीवनशैली, भूमंडलीकरण, आर्थिक औपनिवेशीकरण और उदारीकरण वाली आर्थिक नीति ने हमारी आंतरिक स्वतंत्र–स्वदेशी और स्थानीय आर्थिकी को नुकसान पहुंचाया है। यदि गांवों में विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री का निर्माण या उत्पादन का अधिकार सुनिश्चित कर दिया जाए तो बड़ी सीमा तक बेरोजगारी को समाप्त किया जा सकता है। स्वावलम्बी ग्राम सरकार की स्थापना के लिए ये काम जरूरी हैं। धरती और प्राकृतिक धरोहरों का उपयोग इस प्रकार हो कि मानव स्वयं को रचनात्मक विकास के केन्द्र में रखते हुये अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति निर्बाध गति से करता रहे और भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक धरोहरों का संरक्षण और निर्माण नियमित रूप से करता रहे। जहां भी संभव होगा उपभोग की वर्तमान गति और प्रवृत्ति को हतोत्साहित कर सतत सृजन और संरक्षण को महत्व दिया जाएगा। प्रत्येक नागरिक, उपक्रम और व्यवसाय को अपनी सीमाएं तय करनी होंगी और प्राणिमात्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी पारिस्थितिक समझ के साथ निभानी होगी। अर्थात् आवश्यकताएं तो सबकी पूरी हों, लेकिन निहित स्वार्थों के लालच को प्रोत्साहन न मिले।

12. प्रतिगामी प्रवृत्तियों का प्रतिकार और संघर्ष

पूंजीवाद के पक्ष में आज के उदारीकरण और एक पक्षीय भूमंडलीकरण पर आधारित बाजारवाद के इस संकटपूर्ण दौर में राजनीतिक ताकतों को ऐसे प्रभावी उपाय ढूंढने की जरूरत है जिनसे जनपक्षीय लड़ाई को धारदार बनाया जा सके। साम्राज्यवादी अतिक्रमण का प्रतिकार करने और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पादों का गुलाम बनने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने की अत्यंत आवश्यकता है। साथ ही राष्ट्र और विश्व स्तर पर ऐसी शक्तियों से गठजोड़ करने का समय भी है जो उदारीकरण, बाजारवाद, एकतरफा भूमंडलीकरण और नव–साम्राज्यवाद तथा पारिस्थितिक असंतुलन और जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार पक्षों के खिलाफ समान रूप से संघर्षशील हों, जो जनता के पक्ष में खड़ी हों और जो प्राकृतिक धरोहरों को सहेजे रखने की पारदर्शी राजनीतिक इच्छाशक्ति और ईमानदारी रखती हों। परिवर्तन पार्टी जनविरोधी नीतियों, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के विरुद्ध 'सड़क से संसद' तक संघर्ष करेगी और अपने अभियानों में जनता के साथ–साथ अन्य जनपक्षीय संगठनों–दलों का सहयोग भी लेगी।

अंततः उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी सामूहिक नेतृत्व तथा निर्णय–क्रियान्वयन–श्रेय में भागीदारी के सिद्धांत पर कायम रहते हुए अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करेगी।

***

अनुलग्नक–दो

कार्यसंहिता

1. राजधानी

उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी का स्पष्ट रूप से मानना है कि जनता ने गैरसैंण को स्थाई राजधानी के रूप में स्वीकार किया है लेकिन शासकवर्ग और तथाकथित मुख्यधारा की पार्टियों ने जनता की इस भावना की अवहेलना कर माफिया, नौकरशाही और राजनीतिक दलालों के हित में देहरादून को अंतरिम राजधानी बनाने और अब उसे स्थायी राजधानी बनाने का षड्यंत्र रचा है। इसलिए पार्टी देहरादून को राज्य की अस्थाई या स्थाई राजधानी के रूप में अस्वीकार करती है। पार्टी जनता के सहयोग से गैरसैंण को राज्य की स्थायी राजधानी बनाएगी। इसके अलावा पार्टी का मानना है कि राजधानी के लिए अत्यधिक ढांचागत विस्तार की आवश्यकता नहीं है। अतः पुरानी व्यवस्था को ध्वस्त कर शासकीय ढांचे का अनुकूल पुनर्गठन किया जाएगा। शासन–प्रशासन का विकेन्द्रीकरण कर ग्राम सरकार की अवधारणा को साकार करने के लिए राज्य की राजधानी का ढांचा गैरसैंण में न्यूनतम तथा प्रतीकात्मक रखा जाएगा।

2. परिसीमन

केन्द्र सरकार द्वारा थोपे गये नये परिसीमन को पार्टी साजिश मानती है। लिहाजा हमारी पार्टी राज्य की कमजोर आर्थिकी और भौगौलिक जटिलता के आलोक में क्षेत्रफल के आधार पर जनपक्षीय परिसीमन किए जाने के लिए संघर्षरत रहेगी। उत्तराखंड को परिसीमन से बाहर रखने के पक्ष में राज्य विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर उचित उचित संवैधानिक व्यवस्था का निर्माण कराया जाएगा। वैसे भी राज्य निर्माण के बाद राज्य में 1971 की जनगणना के आधार पर परिसीमन किया गया था, अतः राज्य में नये सिरे से परिसीमन की संवैधानिक आश्यकता नहीं थी। संक्षेप में, जनोन्मुखी और भौगोलिक आधार पर परिसीमन की प्रक्रिया राज्य में आरंभ कराने के लिए केन्द्र सरकार, परिसीमन आयोग और निर्वाचन आयोग पर भी दबाव बढ़ाया जाएगा।

3. विकास खंडों (ब्लाकों) का पुनर्गठन

पार्टी का मानना है कि ग्राम सरकार की अवधारणा के अनुरूप राज्य में विकासखंडों का पुनर्गठन आवश्यक है। विकासखंडों का गठन करीब 50 वर्ष पहले हुआ था और इस अवधि के दौरान जनसंख्या, पर्यावरण, खेतीबाड़ी, वन और पारिस्थितिकी इत्यादि के स्तर पर व्यापक परिवर्तन हुये हैं। लिहाजा, पार्टी राज्य में ब्लाकों के पुनर्गठन का अधिकार राज्य सरकार को दिलाने के लिए संघर्ष करेगी और केन्द्र से संवाद स्थापित करेगी।

4. जनपदों का पुनर्गठन

पार्टी मानती है कि वर्तमान में राज्य के जनपदों का गठन असमानता, अव्यवाहारिकता और प्रशासनिक तथा पारिस्थितिक अराजकता पर आधारित है। पार्टी राज्य के तमाम जनपदों का पुनर्गठन भौगोलिक निरंतरता यथा जलागम क्षेत्रों की तार्किकता, पारिस्थितिक अनुकूलता और पर्यावरण की

दृष्टि से करेगी।

5. ग्रामसभा तथा राजस्व ग्राम

गांव चाहे कितना ही छोटा हो उसे राजस्व ग्राम का दर्जा हासिल होगा और उसे ग्रामसभा बनाने का अधिकार भी होगा। इसके लिए उचित व्यवस्था स्थापित कराने के उपाय किये जाएंगे। ग्रामसभाओं को कारगर बनाने के लिए सामूहिक नेतृत्व का मॉडल विकसित किया जाएगा। छोटे से छोटे गांव को राजस्व ग्राम का दर्जा हासिल होने से तमाम गांवों में आवश्यकतानुसार स्कूल, बिजली, पानी, सड़क संबंधित सभी विकास योजनाओं को लागू किया जा सकेगा। ऐसी तमाम बस्तियों, जहां लोग लंबे समय से निवास कर रहे हैं और उन्हें राजस्व ग्राम का दर्जा नहीं दिया गया है, उन्हें हमारी पार्टी बंदोबस्त के माध्यम से राजस्व ग्राम का दर्जा दिलाएगी। इसके लिए सभी संबंधित सरकारों/विभागों/एजेंसियों से संपर्क बनाया जाएगा।

6. वन ग्राम

उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी संख्या में वन ग्राम हैं। इनमें अधिकतर अनुसूचित जाति, जनजाति और समाज के निर्बल वर्ग के लोग रहते हैं। वन गूर्जरों और पहाड़ के भूमिहीनों की ऐसी बस्तियां हैं जिन्हें अभी तक उनके संवैधानिक अधिकार नहीं मिले हैं। जंगलों के बीच रहने वाली जनता की आर्थिकी वनों पर आधारित है। पशुपालन और कृषि से अपना जीवन–यापन करने वाले इन गांववालों के पास जल, जंगल, जमीन के अधिकार नहीं हैं। इन्हें विधानसभा और लोकसभा के लिए मतदान का अधिकार तो है लेकिन ये पंचायत चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। दशकों से ये लोग इन गांवों में रह रहे हैं लेकिन इन गांवों को राजस्व ग्राम का दर्जा नहीं मिल पाया है। इनसे इनका विकास अवरुद्ध हुआ है। पार्टी इन गांवों को राजस्व गांव का दर्जा दिलाकर इन्हें इनके संवैधानिक अधिकार दिलाएगी।

7. ग्राम सरकार

संविधान के 73वें और 74वें संशोधनों के अनुरूप जो त्रिस्तरीय ग्राम, क्षेत्र और जिला पंचायतें हमें दी गयीं, उनमें हमें अपने क्षेत्रों में नीतियां बनाने, उन्हें लागू करने और उनके उल्लंघन पर दंड देने जैसी शक्तियां नहीं दी गयी हैं। असल में पंचायतों को वे अधिकार नहीं दिये गये हैं जो स्थानीय या ग्राम सरकार को मजबूत करें। लिहाजा, यह एक तरह से भ्रष्ट और गैरजिम्मेदार हो चुकी कार्यपालिका का ही विस्तार है। इस व्यवस्था ने हमारे पंचायती प्रतिनिधियों को छोटे–बड़े सरकारी अधिकारियों तथा नेताओं के सामने नतमस्तक और बेबस बना दिया है।

विकास का अर्थ बांधों, सड़कों, फैक्टरियों और भौतिक ढांचे के सुदृढ़ीकरण तक सीमित कर दिया गया है। विकास का लक्ष्य हालांकि भौतिक के साथ–साथ सामाजिक–सांस्कृतिक तथा आर्थिक–पारिस्थितिक आकांक्षाओं की पूर्ति से है। राज्य में सक्रिय अधिकतर राजनीतिक दल विकास की अवधारणा को यथेष्ट परिप्रेक्ष्य में समझना नहीं चाहते और सत्ता भी चली आ रही व्यवस्था के सहारे ही चलायी जा रही है। इसीलिए, अधिकतम व्यवस्था और शक्ति को अपने नियंत्रण में रखना सत्ता का मूल चरित्र है। इस एकाधिकार को तोड़ने के लिए पार्टी ग्राम सरकार की अवधारणा के प्रति अपने को समर्पित करती है। सत्ता के दूरस्थ केन्द्र और व्यवस्था के एकत्रीकरण को बदलकर पार्टी सत्ता को गांव तक पहुंचाने और व्यवस्था को निचले स्तर तक विकेन्द्रित करने के लिए त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को विधायी शक्ति देने के लिए संघर्ष करेगी ताकि ग्राम सरकार की अवधारणा को स्थापित किया जा सके।

पार्टी का मानना है कि गांव के विकास और प्रशासन का पूरा दायित्व निर्वाचित ग्राम सरकार के पास हो। अर्थात् प्रत्येक ग्राम की अपनी सरकार हो और इसकी व्यवस्था का निर्माण ग्राम समाज लोकतांत्रिक, प्रतिनिधिक, आनुपातिक और स्वायत्त ढंग से करे। यह उल्लेख करना यहां प्रासंगिक है कि संविधान में गांवों को स्वायत्त, स्वावलंबी, स्वशासित इकाइयों में पुनर्गठित किये जाने की व्यवस्था है। हमारी सरकार की जिम्मेदारी होगी कि ग्राम सभाओं को ऐसे अधिकार और सुविधाएं प्रदान करे कि वे स्वशासन की बुनियादी और स्वायत्त इकाई के रूप में काम कर सकें। हमारी पार्टी संविधान की उपरोक्त भावना के पालन की दिशा में कार्य करेगी और ग्राम सरकार के सपने को साकार करेगी। ग्राम सरकार को अपने स्तर पर अपने लिये नीतियां, नियम–उपनियम बनाने की विधायी शक्ति दिलाने की दिशा में आवश्यक उपाय किये जायेंगे।

पंचायती राज व्यवस्था और ग्राम सरकार को मजबूत करने के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारों की योजनाओं का धन सीधे ग्राम सरकार को दिये जाने के लिए संघर्ष किया जाएगा ताकि ग्राम सरकार की अवधारणा को असली मजबूती मिल सके।

8. प्राकृतिक धरोहरें और परिसम्पत्तियां

पार्टी की धारणा है कि मानव का अस्तित्व पृथ्वी की जीवंतता, विविधता और नैसर्गिकता पर आधारित है और आने वाली पीढ़ियों के लिये इन्हें बेहतर बनाना हमारी जिम्मेदारी है। मनुष्य प्रकृति में स्थित तमाम जीवों, निर्जीवों और चल–अचल प्राकृतिक धरोहरों का एक हिस्सा मात्र है, लिहाजा मनुष्य पृथ्वी पर अवस्थित तमाम प्राणियों, धरोहरों और परंपराओं का सम्मान करे। परंपराओं के नाम पर रूढ़ियों को प्रोत्साहित नहीं किया जायेगा। पार्टी आवश्यक रूप से मानती है कि मनुष्य को पृथ्वी पर उपलब्ध प्राकृतिक धरोहरों तथा पारिस्थितिकी की सीमाओं में रहते हुये ही उपभोग करना चाहिए। पार्टी आर्थिक विकास के नाम पर उत्पादन और उपभोग बढ़ाने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करेगी। अर्थात्, पारिस्थितिकतंत्र, जैवविविधता और पर्यावरण संरक्षण कार्यों को आगे बढ़ाने की सतत जिम्मेदारी मुख्यरूप से मनुष्य पर है।

उत्तराखंड की तमाम परिसम्पत्तियों, प्राकृतिक धरोहरों और अर्जित संसाधनों पर किसी अन्य सूबे का स्वामित्व, वर्चस्व, आधिपत्य या अधिकार स्वीकार नहीं किया जाएगा। रेता–बजरी का दोहन और चुगान पर्यावरण संरक्षण और संतुलन को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। पार्टी भारत के संविधान की उन तमाम व्यवस्थाओं में संशोधन या सुधार के लिए भी संघर्षरत रहेगी जो जनता के मौलिक अधिकारों का हनन करती हों। उत्तर प्रदेश के साथ तमाम परिसम्पत्तियों का बटवारा भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर कराने के लिए संघर्ष तब तक जारी रखा जाएगा जब तक कि यह लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लिया जाता। जनसंख्या के हिसाब से परिसम्पत्तियों के बटवारे से उत्तराखंड को अपूरणीय क्षति हुई है और यह प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है। अतः इसे ठीक करवाया जाएगा।

9. कृषि और वन संबंधी नीतियां

उत्तराखंड का बड़ा हिस्सा पर्वतीय है। तीन मैदानी जिलों को छोड़कर सभी पहाड़ी जिलों की अधिकांश खेती वर्षा पर आधारित है, लेकिन इन पहाड़ी जिलों में सिंचित और खासी उपजाऊ भूमि (सेरे) भी बहुत है। नीति नियंताओं ने कभी भी नई तकनीक, उन्नत बीज और खाद मुहैया कर इन्हें उपयोगी नहीं बनाया। राज्य का पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय जो अपने शोध से कृषि क्रान्ति की अगुवाई करता है,

उसने कभी इन सेरों के साथ–साथ उखड़ी (शुष्क) खेती का मृदा परीक्षण करने के गंभीर प्रयास नहीं किये। इस दिशा में पार्टी का पहला काम होगा जमीनों को चयनित कर उनका मृदा परीक्षण कर वर्गीकरण करना, किसानों को उन्नत बीज, प्रशिक्षण और कृषि प्रोत्साहन ऋण देकर आत्मनिर्भर बनाना। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां सब्जी के उत्पादन की संभावनाएं हैं लेकिन वहां अभी तक परंपरागत खेती होती है जिसमें श्रम तो लगता है लेकिन यथोचित उपज नहीं होती। पार्टी ऐसी जगहों को सब्जी पट्टियों के रूप में विकसित करने का प्रयास करेगी। कम उपजाऊ या पथरीली भूमि में होने वाली फसलों को भी प्रोत्साहित किया जायेगा। जैविक पहाड़ी दालों और मसालों की उपज पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। राज्य के खासकर तराई क्षेत्र में गन्ने के उचित दाम किसानों के हितों के अनुकूल करने के लिए स्पष्ट व्यवस्था की जाएगी।

पार्टी मानती है कि औपनिवेशिक वन प्रबंधन ने उत्तराखंड की पारंपरिक कृषि, पशुपालन, संस्कृति और पेयजल व्यवस्था के मिजाज को बिगाड़ा है। औपनिवेशिक वन प्रबंध और वन कानून के खिलाफ उत्तराखंड सदैव आंदोलित रहा है। तिलाड़ी कांड, रेणी का आंदोलन, नैनीताल क्लब कांड जैसे दर्जनों उदाहरण हैं जो इस औपनिवेशिक प्रवृत्ति के विरुद्ध जन आक्रोश की अभिव्यक्ति करते हैं। पार्टी का मानना है कि वर्तमान प्रबंधन के कारण पशुपालन के लिये आवश्यक वनस्पतियों का तेजी से ह्रास हुआ है तथा चीड़ जैसे पर्यावरण प्रतिकूल वन क्षेत्र का विस्तार हुआ है। इसलिए इस विकृत्ति को रोकने के लिए हमारी पार्टी वन, कृषि, उद्यान तथा सिंचाई कार्यों के लिए मंत्रालय बनाने की पक्षधर नहीं है। वनों का प्रबंध पंचायती आधार पर किये जाने के लिये राज्य का पंचायती वन अधिनियम बना कर वन प्रबंधन की जनपक्षीय और प्रदेश स्तरीय प्रबंधन व्यवस्था की जाएगी। इसमें ग्राम वन पंचायत, न्याय क्षेत्र वन पंचायत एक जिला स्तर की वन पंचायत तथा प्रदेश स्तर की वन पंचायत का खाका खींचा जाएगा। कृषि क्षेत्रों के संरक्षण के लिये कृषि क्षेत्रों में खनन पट्टे देने की प्रथा समाप्त की जाएगी। वन क्षेत्रों में कृषि और बागवानी योग्य भूभागों को कृषि विस्तार के लिये खोला जाएगा। पार्टी ऐसी व्यवस्था करेगी कि प्रति परिवार न्यूनतम 70 नाली जमीन का निर्धारण हो सके। इस प्रयोग को सफल बनाने के लिए कृषि क्षेत्र विस्तार किया जाएगा। यह सघन बंदोबस्त से ही संभव होगा।

पार्टी स्वीकारती है कि बंदर, सूअर, भालू, खरगोश इत्यादि जंगली जानवरों तथा आवारा पशुओं के तेजी से बढ़ने से कृषि कार्य चौपट हो रहा है तथा लोग कृषि क्षेत्र से विमुख हो रहे हैं। इस समस्या के समाधान के लिए पार्टी की सरकार जंगली जानवरों और आवारा पशुओं पर रोक के लिए उचित कानून बनाएगी। इसके अतिरिक्त नापभूमि में पैदा होने वाले पेड़ों पर भूस्वामी का अधिकार होगा और उन्हें काटने का अधिकार भी स्वतः ही भूस्वामी का होगा। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए उचित वैधानिक उपाय किये जाएंगे।

10. रोजगार

उत्तराखंड में बेरोजगारी की गंभीर समस्या है। पढ़ाई–लिखाई के बाद भी लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार नहीं मिलता है, लिहाजा उन्हें आजीविका की खोज में बाहर जाना पड़ता है। हमारी सरकार सुनिश्चित करेगी कि अधिकतर स्थानीय बेरोजगारों को राज्य की सरकारी और गैर–सरकारी नौकरियों में रोजगार मिले। इसके लिए स्थानीय उद्योगों में उत्तराखंड के नागरिकों के लिए आरक्षण की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। जब तक रोजगार नहीं मिले, तब तक बेरोजगारों को सम्मानजनक बरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। राज्य में तमाम बेरोजगारों को रोजगार/सेवा का अधिकार (राइट टू सर्विस) देने के लिए

उचित संवैधानिक व्यवस्था की जाएगी। राज्य सरकार समय–समय पर सरकारी नौकरियों की अधिसूचना जारी करेगी और रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगारों को उनकी शैक्षणिक–तकनीकी योग्यता के अनुसार रोजगार देगी। जिन बेरोजगारों को नौकरी न मिले, उन्हें अपीलीय अधिकारी के पास शिकायत करने का अधिकार दिया जाएगा। किसी भी पंजीकृत बेरोजगार को नौकरी देने की समय सीमा भी दी जाएगी।

11. पशुपालन

राज्य के समाज में पशुपालन व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और वर्षा पर आधारित किसानों को खासकर गरीबी से बचाती रही है। इस व्यवस्था के महत्व को पहचानते हुए इसके सुदृढ़ीकरण के लिए विशेष और आवश्यक उपाय किये जाएंगे।

12. पारिस्थितिकी अनुकूल भूमि सुधार, चकबंदी और खेतीबाड़ी

भूमि सुधार कार्यक्रम गरीबी दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। भूमि सुधार कार्यक्रम से पार्टी का तात्पर्य भूहदबंदी और चकबंदी से ज्यादा है। अर्थात् राज्य में कृषि आधारित आर्थिकी के विकास के लिए संघर्ष और उपाय किये जाएंगे। पारंपरिक खेती (बारहनाजा, इत्यादि) को प्रोत्साहित किया जाएगा और जैविक खेती करने वालों को रियायतें तथा सब्सिडी दी जाएगी। किसानों की कृषिभूमि बढ़ाने के लिए उपाय किये जाएंगे और समुदायों के नियंत्रण वाले कृषि वनों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही पशुधन विकास को बढ़ावा दिया जाएगा और किसानों को सरकारी ऋण कम ब्याज पर दिये जाएंगे। छोटे किसानों के लिए विशेष पैकेज तैयार किया जाएगा। कालांतर में कृषिभूमि की चकबंदी के पक्ष में आम सहमति बनायी जाएगी और जनता को इसके फायदे से अवगत कराते हुये पूरे राज्य में खेतीबाड़ी की चकबंदी आवश्यक रूप से की जाएगी। खेती की गुणवत्ता के आधार पर वर्गीकरण कर चकबंदी में किसानों को भूमि के आदान–प्रदान का फॉर्मूला तैयार किया जाएगा। भूमि प्रबंधन की जनोन्मुखी नीति भी बनायी जाएगी और नया बंदोबस्त सुनिश्चित किया जाएगा। कृषि भूमि में किसी भी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को अनुमति नहीं होगी। अर्थात् एसईजेड अथवा सेज की तरह की औद्योगिक व्यवस्थाएं कृषि भूमि में कदापि नहीं होने दी जाएंगी।

साथ ही राज्य में भूमि हदबंदी कानून का सख्ती से पालन किया जाएगा और इसे आम जनता, छोटे किसानों, जनजातियों, भूमिहीनों, गरीब अल्पसंख्यकों, दलितों, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों और अन्य गरीब तबकों के पक्ष में संशोधित भी किया जाएगा। लावारिस और बेनामी जमीनों का अधिग्रहण कर उन्हें भूमिहीनों, दलितों तथा अन्य गरीब तबकों में कृषि कार्य या स्वरोजगार–स्वव्यवसाय के लिए वितरित किया जाएगा। नियम से अधिक भूमि रखने वालों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। जमीनों की खरीद–फरोख्त को पारदर्शी बनाने तथा छोटे किसानों, दलितों, जनजातीय लोगों और अन्य गरीबों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कानूनी उपाय किये जाएंगे और वर्तमान जनपक्षीय कानूनों, यदि हों, पर सख्ती से अमल किया जाएगा। भूमि सुधार इस तरह से किये जाएंगे कि स्थानीय पारिस्थितिकी को कोई नुकसान न पहुंचे। उत्तराखंड में वर्षा जल के साथ बड़ी मात्रा में मिट्टी बह जाती है जिससे खेती की उर्वरा शक्ति कमजोर पड़ जाती है। भूमि सुधार कार्यक्रम में मिट्टी बहाव रोकने के लिए वैज्ञानिक तौर–तरीकों पर बहस और उपाय होने आवश्यक हैं। खेतों के किनारे ऊंची मेंढें बनाकर तथा पेड़ लगाकर इस समस्या से निजात पायी जा सकती है। जैविक खेती का विकल्प

पर्यावरण संरक्षण में ही उपयोगी नहीं होगा बल्कि किसानों की पैदावार की बेहतर कीमत भी दिलाएगा। पूरी दुनिया में आज जैविक खाद्यान्न की मांग निरंतर बढ़ रही है। जैविक खेती में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध गोबर और कम्पोस्ट जैसी खादों के उपयोग से पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और दूसरे महंगे रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम होगी और मिट्टी और जल में प्रदूषण को कम किया जा सकेगा। कृषि में जीएम और बीटी प्रौद्योगिकी को पार्टी नकारती है और राज्य में इन किसान और जनविरोधी कृषि प्रौद्योगिकियों को लागू नहीं होने दिया जाएगा।

13. नजूल भूमि

नजूल भूमि में रह रहे लोगों के पक्ष में उचित नीति बनाकर इन भूमियों पर उनका स्वामित्व सुनिश्चित करने के लिए कानूनी उपाय किये जाएंगे। यह कार्य सावधानी से किया जाएगा ताकि भूमाफिया अथवा अन्य स्वार्थी तत्वों को इस सुविधा का लाभ न मिल सके।

14. महिलाओं को संपत्ति, भूमि और अन्य के अधिकार

कानून बनाकर महिलाओं को पूर्ण भू–अधिकार दिलाए जाएंगे। भूमि और अन्य संपत्तियों में पिता, पति या बेटे के साथ महिला सह–खातेदार होगी तथा इसका बाकायदा पंजीकरण संबंधित कार्यालय में होगा। माता–पिता की चल–अचल संपत्ति में विवाहित स्त्री का आनुपातिक हक तथा पति की चल–अचल संपत्ति में हिस्सा पचास फीसद करने की कानूनी व्यवस्था भी की जाएगी। इसके अतिरिक्त महिलाओं को किसान का दर्जा भी दिया जाएगा ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं और बैंक कर्जों इत्यादि का उचित लाभ मिल सके। महिलाओं को ग्राम सभा से लेकर संसद तक 50 प्रतिशत आरक्षण दिलाने के लिए हमारी पार्टी और पार्टी की सरकार संघर्षरत रहेगी। राज्य सरकार के अधीन आने वाली संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण के लिए विधेयक लाकर संवैधानिक व्यवस्था की जाएगी।

15. पर्यावरण–पारिस्थितिकी

स्वच्छ पर्यावरण और अनुकूल पारिस्थितिकी मानव जीवन के लिए आवश्यक तत्व हैं, लेकिन टिकाऊ विकास और स्थायित्व के दावों के बावजूद पर्यावरण और पारिस्थितिकी के स्तर पर आज हम ऐतिहासिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं। एक ओर जलवायु परिवर्तन का संकट छाया हुआ है तो दूसरी ओर पर्यावरण और प्राकृतिक धरोहरों तथा कृषि पर दबाव बढ़ रहे हैं। गरीबी, भूख और बीमारियां इन कारणों से बढ़ रही हैं। साफ हवा, शुद्ध और निशुल्क पेयजल और पारंपरिक जैविक खेती पर खतरे निरंतर बढ़ते जा रहे हैं।

प्रदूषण और प्राकृतिक धरोहरों के असमान वितरण से पर्वतीय समाज के कष्ट बढ़ रहे हैं तो मैदानी क्षेत्रों में खेती पर दबाव बढ़ रहा है। पूरे राज्य में छोटी जोतों वाले किसानों के लिए आजीविका कमाना कठिनतर होता जा रहा है। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ बढ़ने से मानव और प्रकृति के सहज संबंध बिगड़ रहे हैं। ऐसा अनियंत्रित व्यवसायीकरण, वैश्वीकरण और बाजारवादी संस्कृति के कारण ज्यादा हो रहा है। पारिस्थितिक ही नहीं अपितु सांस्कृतिक परिवेश पर भी इन तत्वों का असर पड़ रहा है। पार्टी का स्पष्ट तौर पर मानना है कि पृथ्वी की जैव–विविधता की निरंतरता पर आधारित जीवन पद्धतियों को प्रोत्साहन देना ही होगा।

प्राकृतिक धरोहरों के गैर–जिम्मेदार दोहन पर अंकुश लगाया जाएगा और प्राकृतिक धरोहरों पर स्थानीय

जनता का स्वामित्व सुनिश्चित किया जाएगा। ऐसी किसी भी गतिविधि को अनुमति नहीं होगी जिसके विरोध में स्थानीय और राज्य की जनता खड़ी हो और जिसके दूरगामी प्रतिकूल परिणाम हों। टिकाऊ विकास की सहज और स्वाभाविक अवधारणा जैव–विविधता की निरंतरता पर आधारित होगी और वह भी इस पूरी समझ के साथ कि प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण, संयोजन और आवश्यकतानुसार उपयोग की जिम्मेदारी सर्वप्रथम स्थानीय समाजों की है। मानव की आवश्यकताओं और प्रकृति के संरक्षण में तालमेल बिठाये रखा जाएगा। पेड़–पौधों और तमाम वनस्पतियों की विविधता के संरक्षण, उनके बारे में संचित ज्ञान का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने इत्यादि के कार्यों को भी प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। राज्य से निकलने वाली नदियों के जल पर मूलरूप से उत्तराखंड की जनता का अधिकार सुनिश्चित कराने के लिए संवैधानिक उपायों के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

राज्य में जैव विविधता संरक्षण के लिए विश्वस्तर के हिमालय बायोडायवरसिटी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। इसके अतिरिक्त हिमालय अध्ययन संस्थान की स्थापना भी की जाएगी। हिमनदों, पर्वतों, वनों, नदियों के संरक्षण के संवर्द्धन के लिए यह संस्थान कार्य करेगा।

16. उद्योग, औद्योगिक विकास बनाम श्रम कानून और पर्यावरण

उत्तराखंड का भूगोल मोटे तौर पर तीन भागों में बंटा है। मैदानी, भाबर (तराई) और पर्वतीय। मैदानी क्षेत्र मे जहां बड़े उद्योग संभव हैं वहीं पहाड़ों में पर्यावरण अनुकूल लघु और स्थानीय संसाधनों पर आधारित छोटे और मझौले उद्योग लगाये जाएंगे। समाप्त हो रहे परंपरागत उद्योगों को बचाने के लिए पार्टी कारगर नीति बनाएगी। पहाड़ से पलायन को रोकने और युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जायेगा। मैदानी भागों में लगने वाले उद्योगों के साथ भी ऐसी शर्तें रखी जायेंगी कि वे सब्सिडी के बाद भाग न सकें। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उद्योग लगाने वाली कंपनी स्थानीय लोगों को रोजगार में नियमानुसार वरीयता देगी।

औद्योगिक विकास की परिभाषा जनोन्मुखी श्रम कानूनों के दायरे में ही गढ़ी जाएगी और उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। औद्योगिक विकास की किसी भी ऐसी कार्रवाई या गतिविधि को अनुमति नहीं होगी, जिसमें जनोन्मुखी श्रम, पर्यावरण या अन्य कानूनों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन होता हो या उपेक्षा होती हो। किसी भी इलाके में किसी भी प्रकार की औद्योगिक प्रक्रिया या परियोजना शुरू करने से पहले जन सुनवाई का आयोजन अनिवार्य होगा और जन सहमति बनने पर ही औद्योगिक प्रक्रिया या परियोजना शुरू की जाएगी।

17. बागवानी और फल आधारित उद्योग

पार्टी का मानना है कि राज्य में बागवानी की अकूत संभावनायें हैं। अब तक की सरकारों ने बागवानी कर रहे लोगों को बुरी तरह हतोत्साहित किया है। सरकार ने अपने ही बागों को कौड़ी के भाव बेच दिया। पहाड़ में सेब, आडू, खुमानी, संतरा, माल्टा आदि प्रचुर मात्रा में होता है। इनके उत्पादन को और अधिक बढ़ाया जा सकता है। हमारी सरकार बागवानी को आगे बढ़ाने को अपनी प्राथमिकता में रखेगी। फूलों और हर्बल की खेती को बढ़ावा देने के साथ स्थानीय काश्तकारों के हितों के लिए नीतियां बनायी जायेंगी। इस प्रथा को भी समाप्त किया जायेगा कि कोई बाहर का व्यक्ति किसी स्थानीय काश्तकार की जमीन को किराये पर लेकर उत्पादन करे। हमारी सरकार इसके लिये सख्त और जनोपयोगी कानून बनायेगी। पहाड़ में फल आधारित लघु उद्योगों की अपार संभावनायें हैं। यहां उत्पादित होने वाला माल्टा,

संतरा, नींबू, गोला नाशपाती, आम और अन्य कई फल बहुत सस्ते दामों पर बाहर चले जाते हैं। राज्य में इनको संरक्षित करने के लिये न तो शीतगृह हैं और न ही ऐसी इकाइयां जो इनसे जैम, जेली, जूस, अचार आदि बना सकें। कुछ लोग इसे करते भी हैं तो इसके लिये बाजार उपलब्ध नहीं है। पार्टी युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिये इस पर खासतौर पर ध्यान देगी। ऐसी नीति बनाई जायेगी कि उत्पादित वस्तुओं का विपणन सरकारी/सहकारी संस्थाएं करें। इसके लिये कुमाऊं और गढ़वाल मंडल विकास निगमों जैसी संस्थाओं को भी लगाया जायेगा। इसे कुटीर उद्योग के रूप में भी स्थापित करने की पहल की जायेगी।

18. खनन

पार्टी का स्पष्ट मानना है कि प्रदेश की नदियों–गधेरों में चुगान को लेकर जो संकट व्याप्त है उसके लिए भाजपा–कांग्रेस की माफियापरस्त नीतियां जिम्मेदार हैं। पार्टी की धारणा है कि प्राकृतिक धरोहरों का दोहन आम जनता और श्रमिकों के पक्ष में तथा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना वैज्ञानिक और पारदर्शी ढंग से होना चाहिए। पार्टी यह भी मानती है कि इस संकट का कारण खनन माफिया और स्टोन क्रैशर मालिकों तथा कुछ राजनीतिक नेताओं को अवांछित लाभ पहुंचाया जाना है। पार्टी इस स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक नीति और कानून बनाएगी ताकि नदियों–गधेरों में चुगान को लेकर संकट दूर किया जा सके और साथ ही पारिस्थितिकी का संरक्षण किया जा सके।

19. बांध

उत्तराखंड में किसी भी हालत में पन्द्रह मीटर से ऊंचे बांधों को अनुमति नहीं दी जाएगी। पन्द्रह मीटर से ऊंचे बांधों को विश्व बांध आयोग बड़े बांध मानता है। इसके अलावा पन्द्रह मीटर से कम ऊंचाई वाले बांधों के निर्माण को तभी अनुमति दी जाएगी यदि स्थानीय निवासी उचित और आवश्यक जन सुनवाइयों के पश्चात परियोजना के पक्ष में हों। इस संबंध में सुगम्य क्षेत्र में जन सुनवाई समेत तमाम शासकीय और संवैधानिक व्यवस्थाओं और औपचारिकताओं इत्यादि का निर्वहन आवश्यक होगा और यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि क्षेत्र की पारिस्थितिकी को बड़ा नुकसान पहुंचने की आशंका न हो। यदि बांध बनाना आवश्यक हो तो सार्वजनिक उपक्रम, स्थानीय व्यवस्था अथवा ग्राम सरकार व्यवस्था के अंतर्गत ही बनाने दिया जाएगा।

20. विस्थापन और पुनर्वास

टिहरी बांध सहित तमाम अन्य बांधों के निर्माण के कारण विस्थापित हुए लोगों के न्यायपूर्वक पुनर्वास पर आवश्यक रूप से अमल किया जाएगा। विस्थापन के कारण सामाजिक और सांस्कृतिक नुकसान की भरपाई के उपाय खोजे जाएंगे। भविष्य में यदि जनता की समुचित सहमति से किसी 15 मीटर ऊंचाई से कम बांध परियोजना का आरंभ हो तो विस्थापन से पहले समुचित पुनर्वास का ढांचा तैयार किया जाएगा तथा पुनर्वास स्थल प्रभावितों के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश के अधिकतम निकट स्थापित किये जाएंगे।

21. स्वास्थ्य–चिकित्सा

हमारी सरकार उत्तराखंड में स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता वाला क्षेत्र बनाएगी। ग्राम स्तर तक मुफ्त चिकित्सा सुविधा के लिए सचल चिकित्सा सेवा का गठन किया जाएगा और हर

ब्लॉक में कम से कम 30 बिस्तर वाला आधुनिक चिकित्सालय बनाया जाएगा। प्रत्येक जनपद में आधुनिक चिकित्सा उपकरणों से लैस पांच सौ शैया वाले अस्पताल खोले जाएंगे। प्रत्येक जनपद में एक मेडिकल कॉलेज का उल्लेख आगे शिक्षा विषय के अंतर्गत है। एलोपैथी के अतिरिक्त आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी (आयुष) और अन्य चिकित्सा पद्धतियों को प्रोत्साहन देने के लिए आवश्यक उपाय किये जाएंगे तथा प्रत्येक संभाग में इन पद्धतियों का कम से कम एक मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। आयुर्वेदिक जड़ी–बूटियों के उत्पादन, विपणन और प्रचलन के लिए कारगर नीति और कार्यक्रम बनाए जाएंगे।

22. शिक्षा

हमारी सरकार राज्य में स्वास्थ्य–चिकित्सा के बाद शिक्षा को दूसरा सर्वोच्च प्राथमिकता वाला क्षेत्र बनाएगी। शिक्षा के निजीकरण और बाजारीकरण को समाप्त कर गुणवत्ता वाली समान प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा समान पाठ्यक्रम और भाषाओं की गारंटी सुनिश्चित करेगी तथा राज्य में प्राथमिक स्तर की शिक्षा को पूरी तरह अपने हाथों में लेगी। बालकों को स्नातक तथा बालिकाओं को स्नातकोत्तर तक शिक्षा मुफ्त दी जाएगी। गरीब परिवारों के छात्रों–छात्राओं को संपूर्ण मुफ्त शिक्षा के अलावा यूनीफॉर्म, किताबें, अभ्यास पुस्तिकाएं, कॉपियां और स्टेशनरी भी उपलब्ध करायी जाएंगी। गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों से आने वाले छात्रों–छात्राओं को नि:शुल्क छात्रावास और छात्रवृत्तियां अतिरिक्त तौर पर प्रदान की जाएंगी। शिक्षानीति को जनोन्मुखी बनाकर व्यावसायिक शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। तकनीकी शिक्षा के लिए विशेष योजनाएं बनायी जाएंगी और ब्लॉक स्तर पर स्नातकोत्तर तथा शोध स्तर तक की व्यवस्था वाले कॉलेज खोले जाएंगे। हर जनपद में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज के अलावा एक इंजीनियरी कॉलेज, हर ब्लॉक में आईटीआई/पॉलिटेक्निक की स्थापना की जाएगी। राज्य के छात्रों के लिए इन तमाम संस्थाओं में 80 फीसदी आरक्षण होगा। शिक्षा व्यवस्था को स्वायत्त बनाया जाएगा और स्थानीय जन प्रतिनिधिक संस्थाओं को इन्हें संचालित करने के अधिकार दिये जाएंगे। शिक्षा में गुणवत्ता के लिए इसे प्रतियोगी भी बनाया जाएगा। बीएड और बीटीसी पाठ्यक्रमों में भी राज्य के निवासियों को 80 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा अनिवार्य रूप से पहली कक्षा से दी जाएगी। इसके लिए उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी।

23. सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक पक्ष

राज्य में स्थानीय संस्कृतियों, उप–संस्कृतियों को शासकीय संरक्षण प्रदान किया जाएगा। पर्यटन नीति को संस्कृति नीति की संवेदनशीलता के हिसाब से ही बनाया जाएगा। संस्कृति, साहित्य, कला जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने के साथ–साथ बड़ी उम्र के संस्कृतिकर्मियों, कलाकारों, पत्रकारों और साहित्यकारों को सम्मानजनक पेंशन दी जाएगी। क्षेत्रीय भाषाओं, बोलियों और उपबोलियों को संस्कृति नीति के दायरे में संरक्षण प्राप्त होगा। सामाजिक पक्ष के तहत आश्रयहीन बुजुर्गों के लिए या तो आश्रमों में निवास सुनिश्चित किया जाएगा अथवा उन्हें सम्मानजनक मासिक पेंशन दी जाएगी।

24. अकादमियां

साहित्य और विभिन्न कलाओं के संरक्षण और उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए अलग–अलग अकादमियों का गठन किया जाएगा जिनका नेतृत्व संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञ करेंगे।

25. अजा, जजा, अल्पसंख्यक, पिछड़े और अन्य निर्बल वर्ग

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों, अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों तथा तमाम वन गुज्जरों सहित निर्बल और गरीब वर्गों के लिए संरक्षण, सुरक्षा और आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। प्रत्येक नागरिक की तरह इन वर्गों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अपने अनुकूल धर्म या सम्प्रदाय अपनाने और अपने अनुरूप धार्मिक स्थानों में जाने की छूट और धार्मिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाएगी। इन वर्गों के सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए आवश्यक उपाय भी किये जाएंगे। साथ ही इन तमाम वर्गों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक अधिकार प्राप्त आयोगों का गठन भी अनिवार्य रूप से किया जाएगा।

26. विकल्पधारी कर्मचारी

पार्टी विकल्पधारी सरकारी कर्मचारियों का मसला शीघ्रातिशीघ्र निपटाये जाने के पक्ष में है। पार्टी का मानना है कि विकल्पधारियों को अपना विकल्प चुनने का मौलिक अधिकार है और इस पर अमल किया जाना चाहिए। विकल्पधारियों का मामला नहीं निपटाये जाने से राज्य के संसाधनों पर प्रतिकूल असर भी पड़ रहा है और युवावर्ग को यथोचित रोजगार के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं।

27. पर्यटन

विलासिता और भोगवाद आधारित देशी–विदेशी पर्यटन को हतोत्साहित कर सहज, साहसिक और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्य में स्थित सभी प्रमुख धार्मिक और आध्यात्मिक स्थलों का विकास सुव्यवस्थित और संगठित ढंग से किया जाएगा। वैष्णोदेवी मंदिर बोर्ड इस प्रकार की सुव्यवस्था का अच्छा उदाहरण है। साथ ही, चारधाम जैसे धार्मिक स्थलों के पुराने और पारंपरिक मार्गों का जीर्णोद्धार और विकास किया जाएगा ताकि ग्रामीण स्तर पर कुटीर उद्योगों को बल मिले और स्थानीय आर्थिकी मजबूत हो। सैलानियों के लिए हर पर्यटन स्थल पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएंगी और देशी–विदेशी पर्यटन के लिए कारगर नीति और पर्यटक सुरक्षा दल का गठन किया जाएगा। इस दल में पर्यटन क्षेत्र में डिग्री अथवा डिप्लोमा वालों को भर्ती किया जाएगा और उन्हें उचित प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका चरित्र पुलिस से पूर्णतः भिन्न होगा पर पर्यटक सुरक्षा दल संवैधानिक अधिकार सम्पन्न होगा। संरक्षित वनों, अभयारण्यों, राष्ट्रीय पार्कों और पारिस्थितिकी के दृष्टिकोण से संवेदनशील क्षेत्रों में पर्यटकों/सैलानियों की पहुंच नियंत्रित होगी। शोध, शिक्षा, पत्रकारिता, सर्वे जैसे कार्यों मात्र के लिए ऐसे क्षेत्रों में जाने की अनुमति होगी। पर्यटकों को किसी भी जगह गंदगी या प्रदूषण फैलाने की अनुमति नहीं होगी। आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों में लोक संवेदनशीलता का पालन किया जाएगा। पर्यटन उद्योग को राज्य की अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधारों में से एक बनाया जाएगा। होटल, लॉज, मोटेल, गेस्ट हाउस, रेस्ट हाउस इत्यादि खोलने में स्थानीय लोगों खासकर युवावर्ग को वरीयता दी जाएगी। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि सरकारी पर्यटन एजेंसियां इस कार्य में मदद करें। यह काम करने के लिए सरकारी गारंटी पर बैंक कर्ज की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

28. अभयारण्य

राज्य में अनेक अभयारण्य, बॉयोस्फियर क्षेत्र और राष्ट्रीय पार्क हैं, जहां मानवीय गतिविधियां प्रतिबंधित हैं, लेकिन चंद लोगों के पर्यटन के लिए इन्हें खुला रखा जाता है। हमारी पार्टी मौजमस्ती वाले पर्यटकों की बजाए स्थानीय लोगों की जरूरतों के अनुसार इन्हें खोलेगी। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि

पर्यटन स्थलों के निर्माण में स्थानीय संस्कृति और पारिस्थितिकी की संवेदनशीलता बनी रहे तथा अवैध कब्जे वाली जमीनों पर ऐसे निर्माण न हों।

29. परिवहन

उत्तराखंड राज्य पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र है, लिहाजा कम प्रदूषण वाली सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा ताकि लोग निजी वाहनों का इस्तेमाल कम करें। गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्रों में रेल परिवहन परियोजनाएं लागू किये जाने के लिए रेल मंत्रालय से संपर्क साधा जाएगा ताकि परिवहन को पर्यावरण के अधिक अनुकूल बनाया जा सके और क्षेत्र से अतिरिक्त उपजों को मंडियों तक आसानी से पहुंचाया जा सके। राज्य के जिन पर्वतीय क्षेत्रों में रेलवे सर्वेक्षण किया जा रहा है या किया गया है वहां शीघ्र रेल लाइनें बिछाने के लिए दबाव बनाया जाएगा। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग, टनकपुर से बागेश्वर होते हुये गरुड़–कपकोट तथा हल्द्वानी–रामनगर से चौखुटिया और गैरसैंण होते हुये कर्णप्रयाग तक तथा काशीपुर, जसपुर, कालागढ़ और कोटद्वार होते हुये हरिद्वार तक रेलवे लाइनों के निर्माण के लिये पार्टी आवश्यक दबाव केन्द्र सरकार पर बनाएगी। राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और उसे अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए यह आवश्यक है। कुमाऊं और गढ़वाल संभागों को जोड़ने वाले कंडीमार्ग को प्राथमिकता के आधार पर खोला जाएगा तथा इस मार्ग के आसपास के पर्यावरण–पारिस्थितिकी को संरक्षित रखने के लिए आवश्यक उपाय किये जाएंगे। सड़कों के सुदृढ़ीकरण, चौड़ीकरण और संपर्क मार्ग बनाने के लिए पर्यावरण अनुकूल योजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। पर्वतीय क्षेत्रों में पैदल मार्गों का विकास भी प्राथमिकता के साथ किया जाएगा। इन मार्गों पर हाइकिंग को भी प्रोत्साहित किया जा सकता है।

30. भाषा और लिपि

सरकार उत्तराखंड में प्रचलित तमाम भाषाओं और बोलियों के संरक्षण के लिए उपाय करेगी तथा सुनिश्चित करेगी कि पांचवीं कक्षा तक की शिक्षा स्थानीय भाषा/बोली और देवनागरी लिपि में सुनिश्चित की जाए। इन प्रयासों के साथ–साथ पूरे राज्य की अपनी पहचान की नयी मानक भाषा विकसित की जाएगी। इसमें उत्तराखंड की तमाम भाषाओं और बोलियों के प्रचलित शब्दों का समायोजन होगा और देवनागरी लिपि में भाषाई–ध्वनियों के समायोजन हेतु नये स्वर और व्यंजनों का विकास किया जाएगा ताकि नयी भाषा को संस्थागत रूप दिया जा सके। कहना न होगा कि हिन्दी भी बनायी गयी भाषा है और देश के किसी भी गांव की यह अपनी भाषा नहीं है। यदि हिन्दी का निर्माण कर उसे शहरों की भाषा बनाया जा सकता है तो उत्तराखंड की विभिन्न बोलियों से उदारता से वाक्य विन्यास, मुहावरे इत्यादि लेकर राज्य की एक नयी भाषा बनायी जा सकती है। स्थिति यह है कि आज राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के निवासी सम्प्रेषण के लिए हिन्दी का प्रयोग करते हैं। हिन्दी का विरोध नहीं है लेकिन यह राष्ट्रीय भाषा उत्तराखंड राज्य की जनता की पहचान नहीं हो सकती है क्योंकि इसके मुहावरे उत्तराखंडी भाषाओं–बोलियों से भिन्न हैं और ध्वनि संयोजन भी अलग है। राज्य की अपनी भाषा का विकास करना संस्कृति विभाग की जिम्मेदारी होगी। इनके अलावा राज्य में हिंदी, पंजाबी, बंगला, उर्दू इत्यादि भाषाओं के उचित संरक्षण के उपाय भी किए जाएंगे।

31. आबकारी नीति

पार्टी शराब और नशीले पदार्थों को सामाजिक बुराई मानते हुए इन्हें राजस्व कमाने का साधन नहीं

मानती है तथा शराब और तमाम नशीले पदोर्थों के खिलाफ सरकार का सतत अभियान मीडिया और अन्य माध्यमों से जारी रहेगा। हर प्रकार की शराब की नियंत्रित और रेगुलेटेड बिक्री मात्र सरकारी विभाग द्वारा की जाएगी और बेची भी सरकारी दुकानों से जाएगी। राज्य में किसी भी फ्रेंचाइजी या निजी पार्टी को किसी भी प्रकार की शराब का ठेका नहीं दिया जाएगा। अवैध तरीके से शराब की बिक्री और शराब माफिया को खत्म किया जाएगा। आबकारी नीति को व्यापक रूप से संशोधित कर जनता और खासकर महिलाओं और बच्चों के हितों के अनुकूल बनाया जाएगा क्योंकि पुरुषों के एक वर्ग की शराब की लत के कारण महिलाओं और बच्चों पर सर्वाधिक असर पड़ता है। शिक्षा संस्थानों और धार्मिक स्थलों से एक किलोमीटर के दायरे में शराब की दुकानें खोलने की अनुमति नहीं होगी। गांवों और ग्रामीण बाजारों में शराब की दुकानें खोलने की अनुमति नहीं होगी। आध्यात्मिक और धार्मिक पर्यटनस्थलों और उनके आसपास मदिरा और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। कुल मिलाकर आबकारी नीति जनता की संवेदनशीलता के प्रति सजग और सचेत रहेगी। अवैध शराब की बिक्री अथवा शराब की अवैध बिक्री करने के कार्य को गैरजमानती अपराध की श्रेणी में रखने के लिए कानूनी उपाय किये जाएंगे। शराब और नशे का कारोबार राजस्व अर्जन का साधन नहीं बनेगा।

32. खाद्य सुरक्षा, पानी, मकान और रोजगार में आरक्षण

राज्य के प्रत्येक नागरिक को भोजन, पानी, मकान और रोजगार का संवैधानिक और मूल अधिकार सुनिश्चित कराया जाएगा तथा इस बारे में आवश्यक कानून बनाया जाएगा। अर्थात् राज्य के प्रत्येक नागरिक की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। दुर्गम क्षेत्रों के निवासियों, सभी वंचित वर्गों, दलितों, अल्पसंख्यकों और गरीबों की खाद्य सुरक्षा प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी। इन वर्गों के जिन परिवारों के पास मकान न हों, उन्हें सरकार रहने के लिए मकान भी देगी। तीसरी और चौथी श्रेणी की सरकारी नौकरियों में 80 प्रतिशत पद उत्तराखंड के नागरिकों के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। द्वितीय और प्रथम श्रेणी की नौकरियों में यह 50 प्रतिशत रहेगा। आईएएस, आईपीएस और अन्य अखिल भारतीय सेवाओं में केन्द्रीय अधिनियम और नियम तो माने जाएंगे लेकिन जहां भी ये स्थानीय जनता के पक्ष में न हों, उनमें संशोधन के लिए दबाव बनाया जाएगा। बहरहाल, बेरोजगारी दूर करने के लिए ग्रामीण स्तर पर रोजगार पैदा किये जाएंगे तथा केन्द्र द्वारा आहूत रोजगारपरक योजनाओं का ठोस क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। लेकिन, विश्व बैंक और उसके जैसी वैश्विक वित्तीय संस्थाओं के आर्थिक सहयोग से चलने वाली परियोजनाओं को बंद किया जाएगा।

33. सहकारी संस्थाएं

जनता द्वारा नीत विकास कार्यों के क्रियान्वयन के लिए सहकारी संस्थाओं के गठन को प्रोत्साहित किया जाएगा और ये सरकारी संस्थाओं के सीधे नियंत्रण से मुक्त होंगी। इन संस्थाओं की जवाबदेही वास्तव में निर्वाचित ग्रामसभाओं/निकायों के प्रति होगी और आय का वितरण सदस्यों के योगदान के अनुसार किये जाने की व्यवस्था की जाएगी।

34. राजनीतिक, सामाजिक और जनसंगठनों में पारदर्शिता

हमारी पार्टी सिद्धान्त रूप में स्वनिर्भरता पर विश्वास करती है तथा वस्तुनिष्ठ परिस्थिति में भी बाहर की ऐसी सरकारों और संगठनों से किसी भी प्रकार की सहायता के विरुद्ध है जो मानवाधिकारों का हनन करती/करते हों, और जनता के पक्ष में न खड़ी/खड़े हों तथा परमाणु सहित

तमाम ऐसी प्रौद्योगिकी का समर्थन करती/करते हों जिनसे पर्यावरण और पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचता हो। धार्मिक या कट्टरवादी संगठनों से तथा शांति–अमनचैन विरोधी संगठनों/सरकारों से कदापि मदद नहीं ली जाएगी। उत्तराखंड में सक्रिय या राज्य की सीमाओं के भीतर संचालित तमाम राजनीतिक, सामाजिक और जनसंगठनों की कार्यप्रणाली पारदर्शी बनाने के लिए अधिनियम बनाया जाएगा। इन संगठनों को नियमित रूप से अर्थात् वर्ष में कम से कम एक बार अपने कार्यों और आय–व्यय का ब्यौरा समाचारपत्रों में विज्ञापन के माध्यम से सार्वजनिक करना होगा तथा इन संगठनों का मुख्यालय जिस क्षेत्र/नगर/ग्राम में स्थित हो, वहां की लोकशासन की जिम्मेदारी इकाई को अपने कार्य और आय–व्यय की जानकारी वर्ष में कम से कम एक बार देनी होगी। किसी तरह की शिकायत या अपारदर्शिता पाये जाने पर जांच कराने की व्यवस्था होगी और दंड का प्रावधान भी होगा। संस्थाओं/संगठनों को अपने कार्यालयों के बाहर नोटिस बोर्ड लगाकर उन पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट, किए गये कार्यों का ब्यौरा और आय–व्यय का ब्यौरा चिपकाना होगा।

35. मीडिया परिषद्

राज्य में मीडिया पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों तथा साम्राज्यवादी ताकतों के प्रभाव से निपटने के कारगर उपाय किये जाएंगे। विज्ञापन नीति भी इस ध्येय से प्रेरित होगी। जनोन्मुखी वैकल्पिक मीडिया को सरकारी संरक्षण दिया जाएगा तथा पत्रकारों के कल्याण के लिए योजनाएं बनायी जाएंगी। समाचारपत्रों और पत्रिकाओं को राज्य की समग्र खबरें देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

36. न्यायपालिका की जवाबदेही

राज्य में कार्यरत न्यायपालिका की जवाबदेही जनता के प्रति सुनिश्चित कराने के लिए संविधान में आवश्यक संशोधन कराने हेतु केन्द्र सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। सूचना अधिकार अधिनियम के तहत निचली अदालतों से लेकर उच्च न्यायालय और इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित तमाम न्यायाधीशों को लाने के लिए आवश्यक संवैधानिक व्यवस्था हेतु संघर्ष किया जाएगा।

37. लोकपाल तथा लोकायुक्त संस्थाएं

लोकपाल तथा लोकायुक्त संस्थाओं का दायरा और व्यापक बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री समेत तमाम सरकारी अधिकारी–कर्मचारी इन स्वायत्त और संवैधानिक संस्थाओं की परिधि में होंगे। वरिष्ठ विधि विशेषज्ञों को इन संस्थाओं का अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा।

38. भ्रष्टाचार और लोक प्रशासन

राज्य में गुड गवर्नेंस अर्थात् जनपक्षीय शासन व्यवस्था कायम करने के उपाय किये जाएंगे। इसके लिए सूचना के अधिकार को निचले स्तर तक प्रभावी ढंग से उपयोग किये जाने के अवसर दिये जाएंगे। राज्य में हर स्तर पर भ्रष्टाचार रोकने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक विधेयक लाकर संवैधानिक व्यवस्था की जाएगी। भ्रष्टाचार में लिप्त सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों तथा गैर–सरकारी लोगों के मामलों की सुनवाई विशेष त्वरित न्यायालयों में की जाएगी। जिन लोगों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले और आरोपपत्र दर्ज होंगे, उनकी संपत्तियों को जब्त कर न्यायालय के अधीन कर दिया जाएगा।

39. शिकायत केन्द्र

राज्य में ब्लॉक स्तर पर सरकारी शिकायत केन्द्रों की स्थापना की जाएगी, जहां जनता किसी भी

सरकारी/गैर सरकारी विभाग/कर्मचारी/अधिकारी के बारे में किसी भी प्रकार की शिकायत कर सकेगी। यह विभाग मुख्यमंत्री के अधीन होगा।

40. मानवाधिकार आयोग

मानवाधिकार हनन का गरीबी तथा राजनीतिक और सामाजिक शक्तिहीनता से गहरा संबंध है। राज्य में निर्दोष लोग भेदभाव, डराने–धमकाये जाने, दमन, उत्पीड़न, प्रताड़ना, हिंसा और मृत्यु के शिकार राज्य और राजनीतिक हिंसा के कारण हो रहे हैं। इन्हें पूरी तरह से रोकने के लिए आवश्यक कानून बनाया जाएगा तथा उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। राज्य में बढ़ी मानवाधिकार हनन की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए राज्य स्तरीय मानवाधिकार आयोग का भी गठन किया जाएगा। इस पर सरकार का नियंत्रण नहीं होगा और उच्च न्यायालय की भांति इसे स्वायत्त और संवैधानिक अधिकार प्राप्त होंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तथा विभिन्न मानवाधिकार संगठनों से इसका यथोचित समन्वय रहेगा। राज्य के भीतर यह स्वायत्त रूप से मानवाधिकार हनन के मामलों में हस्तक्षेप करेगा तथा नागरिक स्वतंत्रता तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करेगा। उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अथवा उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश को ही इस आयोग का अध्यक्ष बनाया जाएगा।

41. अन्य आयोग

महिलाओं, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, वृद्धों, बच्चों, किशोरों, विकलांग लोगों तथा समाज के तमाम अन्य वंचित वर्गों के हितों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक अधिक. ार संपन्न आयोगों का गठन किया जाएगा जिनके प्रमुख संबंधित वर्ग या समुदाय से संबद्ध रखने वाले योग्य व्यक्ति ही होंगे। बच्चों और किशोरों से संबंधित आयोगों में संबंधित विषय के जानकारों को ही रखा जाएगा।

42. सरकारी कर्मचारियों को राजनीतिक अधिकार

पार्टी का स्पष्ट रूप से मानना है कि लोकतंत्र में किसी भी सामाजिक इकाई या समूह की राजनीतिक उदासीनता उचित नहीं हो सकती है। जिस प्रकार समाज के विभिन्न वर्गों को राजनीतिक प्रक्रिया में सक्रियता से भाग लेने का अधिकार है, उसी प्रकार यह अधिकार सरकारी/शासकीय कर्मचारियों–अधिकारियों को उपलब्ध होना चाहिए। यदि सरकारी कर्मचारी के वोट देने से लोकतंत्र के लिए कोई खतरा पैदा नहीं होता है तो उसकी सक्रिय भागीदारी से कैसे खतरा हो सकता है? पार्टी कुल मिलाकर सेनाओं, अर्द्धसैनिक बलों और पुलिस में कार्यरत लोगों को छोड़कर सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की राजनीति में सक्रिय भूमिका सुनिश्चित कराने अर्थात् उन्हें चुनाव लड़ने का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष करेगी।

43. सैन्य प्रसंग और पूर्व सैनिक

हमारी पार्टी देश की संप्रभुत्ता और सुरक्षा के लिए आवश्यक न्यूनतम सेना में आरक्षण राज्य विशेष की जनसंख्या के अनुपात के बजाय योग्यता के आधार पर किये जाने की पक्षधर है। साथ ही 'समान रैंक, समान पेंशन' के पक्ष में है। 'इको टास्क फोर्स' का गठन कर पूर्व सैनिकों और पूर्व अर्द्धसैनिकों को सामाजिक और पारिस्थितिक विषय में प्रशिक्षण देकर 'इको टास्क फोर्स' में योग्यतानुसार वेतन पर

नियुक्त किया जाएगा।

44. राज्य भूमि आयोग

उत्तराखंड में किसी भी प्रकार और श्रेणी की भूमि का दुरुपयोग रोकने, भूमि पर स्थानीय समुदायों, समाजों और वर्गों के पारंपरिक अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य भूमि आयोग का गठन किया जाएगा। आवश्यक परिस्थितियों में लेकिन स्थानीय लोगों की सहमति से सरकार या अन्य किसी अन्य पक्ष द्वारा भूमि अधिग्रहण करने की स्थिति में भूमि के बदले अन्यत्र भूमि की व्यवस्था होगी और केवल अपरिहार्य स्थिति में ही मुआवजा धन के रूप में होगा और मुआवजे की राशि आयोग निर्धारित प्रक्रिया और जनपक्षीय नियमों के अनुसार करेगा। भूमाफिया और अवैध कब्जे वालों से जमीनों को मुक्त कराकर उनका जनोन्मुखी उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा।

45. खेल नीति

राज्य में प्रमुख खेलों के उन्नयन के लिए ऐसी नीति बनायी जाएगी, जिसमें ग्रामीण से लेकर शहरी स्तर के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए वित्तीय व्यवस्था की जाएगी तथा ब्लाक स्तर पर सुविधासंपन्न स्टेडियम बनाए जाएंगे। पर्वतीय क्षेत्रों में खेल के बड़े मैदानों का व्यापक अभाव है। प्रत्येक ब्लॉक में आधुनिक सुविधाओं वाला ऐसा खेल परिसर बनाया जाएगा जिसमें बड़े–बड़े मैदान भी होंगे। इसके अतिरिक्त पर्वतीय क्षेत्रों में शतरंज, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, जिमनास्टिक, तैराकी, भारोत्तोलन, तीरंदाजी, शूटिंग जैसे खेलों के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी ताकि स्थानीय प्रतिभाओं को उचित अवसर मिल सके। शीतकालीन खेलों (विंटर गेम्स) के विकास के लिए औली और अन्य ऐसे स्थलों की पहचान कर पारिस्थितिक संतुलन बनाये रखते हुए उनका विकास किया जाएगा। इससे साहसिक पर्यटन को भी बढ़वा मिलेगा। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ियों को हमारी पार्टी की सरकार सम्मानित करेगी तथा उन्हें सम्मानजनक मासिक पेंशन देने की व्यवस्था करेगी।

46. अन्य

अन्य जो भी जनोन्मुखी और जनोपयोगी विषय छूट गये हों उन्हें भी पार्टी संज्ञान में लेगी तथा अपनी नीतियों और विचारों के अनुकूल उनके संबंध में नीतियां और कार्यक्रम तैयार करेगी।

***

अनुलग्नक–तीन

अपील और संकल्प

पार्टी का मानना है कि गैरसैंण में राज्य की राजधानी बनाने, उत्तर प्रदेश के साथ परिसंपत्तियों का भौगोलिक आधार पर न्यायसंगत बटवारा कराने, पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यावरण के अनुकूल औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने, शासन व्यवस्था को भ्रष्टाचार से मुक्त करने, जल–जंगल–जमीन पर सर्वप्रथम जनता के हक–हकूक बहाल करने और बंजर पड़ी वन और गैर–वन भूमि वाली जमीनों के पट्टे किसानों को खेतीबाड़ी करने के लिए देने, महिलाओं को किसान का दर्जा देने, सरकारी कर्मचारियों को राजनीतिक अधिकार दिये जाने, पारंपरिक ज्ञान और कौशल के आधार पर स्थानीय स्तर पर ही रोजगार के साधन उपलब्ध कराने, विकल्पधारियों को वापस भेजने तथा तमाम वंचित वर्गों को समाज के उन्नत वर्गों के समकक्ष लाने के लिए पार्टी को मजबूत करना आवश्यक है।

आइये! इस लक्ष्य को हासिल कर उत्तराखंड के लोगों को संपन्न और बेहतर नागरिक बनाने के मिशन में शामिल हो जाएं तथा उत्तराखंड की जनता के सपनों का उत्तराखंड बनाकर नये भारत के निर्माण में अपना योगदान करें। आज आवश्यकता जनता में यह विश्वास भरे जाने की है कि उत्तराखंड का भला जनपक्षीय ताकतों के बूते ही संभव हो पाएगा और उसे इन ताकतों को तन–मन–धन से समर्थन देना होगा। भाजपा से नाराज होकर कांग्रेस को सत्ता में लाने और कांग्रेस से नाराज होकर भाजपा को सत्ता सौंपने से काम चलने वाला नहीं है। पार्टी का स्पष्ट तौर पर मानना है कि जिस दिन जनता यह बात समझ लेगी उस दिन राज्य की राजनीतिक तस्वीर स्वतः ही बदल जाएगी। बड़ी–बड़ी बातें करने वाले तथाकथित राष्ट्रीय दल उत्तराखंड की सर्वांगीण जनता का भला नहीं कर सकते हैं।

पार्टी आम लोगों के सरोकारों से मतलब रखने वाले तमाम मजदूर संगठनों, महिला संगठनों, राजनीतिक संगठनों, सामाजिक संगठनों, दलित संगठनों, पिछड़े वर्ग के संगठनों, अल्पसंख्यकों के संगठनों और प्रगतिशील छात्रों और असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे लोगों का आह्वान करती है कि वे एकजुटता की ओर बढ़कर भाजपा, कांग्रेस और उक्रांद को करारा राजनीतिक जवाब दें और इसके लिए हर स्तर पर जमीन तैयार करें। जनपक्षीय तमाम ताकतों के एकजुट होने से ही बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पलायन, शराबखोरी, माफिया आतंक, जल–जंगल–जमीन की समस्याओं और उनके शोषण तथा विस्थापन जैसी विकराल समस्याओं से मुक्ति पायी जा सकती है। खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में आर्थिक शून्यता समाप्त करने के लिए जनपक्षीय नीतियों का पालन होना आवश्यक है। मैदानी मॉडल पर पर्वतीय क्षेत्रों के लिए नीतियां बनाने से वहां की प्राकृतिक धरोहर के साथ–साथ जनता को भी हानि होगी।

पार्टी अपील करती है कि ऐसी तमाम ताकतों को एकजुट होकर एक राजनीतिक ताकत के रूप में काम करने का समय आ गया है। इसलिए यह ऐसे सभी संगठनों और कार्यकर्ताओं से अपील करती है कि वे नयी राजनीतिक शक्ति को मजबूत करने में इस पार्टी का साथ दें। उत्तराखंड के स्तर पर हमारी पार्टी जनता के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए राजनीतिक रूप से दृढ़संकल्प है। पार्टी अपनी राजनीतिक धुर विरोधी पार्टियों–उक्रांद, भाजपा, कांग्रेस, मुजफरनगर त्रासदी की दोषी समाजवादी

पार्टी इत्यादि से समान दूरी बनाकर उत्तराखंड में जनपक्षीय राजनीति के निर्माण के प्रति अपना संकल्प प्रकट करती है। पार्टी उन तमाम ताकतों के साथ गठजोड़ करेगी जो उत्तराखंड की प्राकृतिक धरोहरों पर जनता के पारंपरिक हक–हकूक बहाल करने, संविधान के 84वें संशोधन की भावना के खिलाफ थोपे गये परिसीमन का विरोध करने, राज्य की राजधानी गैरसैंण क्षेत्र में स्थापित करने, विकल्पधारियों को वापस भेजने, समाज के तमाम वंचित वर्गों की आवाज मुखर कर उन्हें अधिकार दिलाने, धर्म–निरपेक्षता पर आधारित समतामूलक समाज को मजबूत करने, जातिप्रथा तोड़ने, प्रशासन को जनता के निकट ले जाने तथा राज्य को माफियामुक्त बनाने और ग्राम सरकार की स्थापना जैसे कार्यों को अंजाम देने के लिए काम कर रही हों।

***

परिवर्तन की चली लहर!
गली-गली और गांव-डाहर!!

उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी

यदि आप पार्टी के राजनीतिक विचार और चिंतन, संविधान और सिद्धांतों से सहमत हैं तो कृपया संपर्क करें। आर्थिक सहायता राशि कृपया चेक/ड्राफ्ट **उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी (UTTARAKHAND PARIVARTAN PARTY)** के नाम से **भारतीय स्टेट बैंक अल्मोड़ा, खाता संख्याः 30678399306** में जमा करवाएं तथा केन्द्रीय कोषाध्यक्ष को <contact@ukpp.org> पर अवश्य सूचित करें।

सुरेश नौटियाल की अध्यक्षता में संविधान प्रारूप समिति द्वारा तैयार संविधान, नीतिपत्र और कार्यसंहिता के मसौदे को उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के गैरसैंण में स्थापना सम्मेलन में 18 जनवरी 2009 को संशोधनों के साथ पारित किया था। बाद में भारत निर्वाचन आयोग के सुझावों के अनुरूप इसमें कुछ और परिवर्तन किये गये। निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी को 26 अक्टूबर 2009 को राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्रदान की। 17-18 जनवरी 2011 को पार्टी के द्विवार्षिक महाधिवेशन में संशोधनों के साथ पार्टी का संविधान, नीतिपत्र और कार्यसंहिता सहित पारित किया गया। संशोधन और परिवर्द्धन के लिए सुरेश नौटियाल, राजेन्द्र भट्ट, गोविन्द लाल वर्मा और सीनियर एडवोकेट एमसी कांडपाल की समिति नियुक्त की गयी थी।

संपादनः सुरेश नौटियाल, डिजाइनः महेन्द्र बोरा
मुद्रणः मयंक ऑफसेट प्रोसेस, गुरु रामदास नगर एक्सटेंशन, लक्ष्मीनगर, दिल्ली-92